फा.सं. 22001/01/2023/एनसीवीईटी
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क - 2023

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीवीईटी) को अधिसूचित करने और गठित करने के संबंध में दिनांक 05 दिसम्बर, 2018 की अधिसूचना सं. एसडी-17/113/2017-ईएंडपीडब्ल्यू के अनुसरण में और 'एनसीवीईटी के अर्हता पैकेजों के अनुमोदन और दिशानिर्देशों में यथानिर्धारित तरीके से अर्हता पैकेजों के अनुमोदन' के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के लिए एनसीवीईटी को शक्ति प्रदान करने के संबंध में उक्त अधिसूचना के पैरा 16(च) के प्रावधानों और बाद में सरकार द्वारा राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क के अनुमोदन तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा दिनांक 10 अप्रैल, 2023 के तहत इसकी अधिसूचना और दिनांक 21 अप्रैल, 2023/ वैशाख 1, 1945 के फा. सं. 2-3/2022 (क्यूआईपी) के तहत जारी सार्वजनिक सूचना के आधार पर, विगत की दिनांक 27 दिसम्बर, 2013 की अधिसूचना को अधिक्रमित करते हुए एतद्द्वारा युक्तिसंगत और संशोधित राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) अधिसूचित किया जाता है, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

1. एनएसक्यूएफ के लिए प्रयोज्य परिभाषाएं

i. "क्षमता" से अभिप्रेत उत्तरदायित्व की भूमिकाओं के निर्वहन में अर्जित ज्ञान, कौशलों और व्यक्तिगत व सामाजिक क्षमताओं का उपयोग करने की प्रमाणित योग्यता से है। यह किसी कार्य को करने की योग्यता है।

ii. "परिषद्" से राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीवीईटी) अभिप्रेत है।

iii. "क्रेडिट" यह मान्यता है कि शिक्षु ने पूर्व निर्धारित परिणामों के साथ अर्हता के अनुरूप शिक्षण का एक पूर्व पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और एक निश्चित राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ)/ राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) स्तर पर, ऐसे शिक्षण के परिणामों को प्राप्त करने के लिए मूल्यांकनों के अध्यधीन है।

iv. "ज्ञान" शिक्षण के माध्यम से सूचना को आत्मसात करने के परिणाम के संदर्भ में है। ज्ञान तथ्यों, सिद्धान्तों, मतों व प्रथाओं का समूह है, जो कार्य, कौशल या अध्ययन के संबंध में है। ज्ञान को मतात्मक और/ अथवा तथ्यात्मक के रूप में वर्णित किया गया है।

v. "शिक्षु" औपचारिक या गैर-औपचारिक व्यवस्था में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण/ कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे व्यक्ति के संदर्भ में है।

vi. "शिक्षण के परिणाम" यह दर्शाते हैं कि शिक्षु शिक्षण की प्रक्रिया को पूरा करने पर क्या जानता है, समझता है और क्या करने में योग्य है और जिसे ज्ञान, कौशलों और क्षमता के संदर्भ में व्यक्त किया जाएगा।

vii. "राष्ट्रीय कौशल अर्हता समिति" अथवा "एनएसक्यूसी" एनएसक्यूएफ के अंतर्गत अर्हताओं के अनुमोदन के लिए स्थापित समिति के संदर्भ में है।

viii. "अर्हता" से वह कौशल क्षमता अभिप्रेत है, जिसके संबंध में परिषद् ने एक अर्हता पैकेज अनुमोदित किया है। एक अर्हता अर्जित करने से एक औपचारिक शिक्षण का परिणाम प्राप्त होता है, जो मूल्यांकन और

सत्यापन प्रक्रिया पर आधारित होता है, जब एक सक्षम निकाय यह निर्धारित करता है कि किसी व्यक्ति ने दिए गए मानकों के अनुसार निर्धारित शिक्षण के परिणाम प्राप्त किए हैं।

ix. "पूर्व शिक्षण की मान्यता" अथवा "आरपीएल" से अर्हता प्राप्त करने के लिए पूर्व शिक्षण के अनुभव अथवा कौशलों वाले व्यक्तियों का मूल्यांकन और प्रमाणन करना अभिप्रेत है।

x. "क्षेत्र" से ऐसी व्यावसायिक गतिविधियों का समूह अभिप्रेत है, जो उनके मुख्य आर्थिक कार्य, उत्पाद, सेवा या प्रौद्योगिकी के आधार पर है।

xi. "कौशल" से ज्ञान का प्रयोग करने और कार्यों को पूरा करने तथा समस्याओं का समाधान करने के लिए तकनीकी जानकारी का उपयोग करने की योग्यता अभिप्रेत है।

xii. "प्रशिक्षण" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो शिक्षुओं को प्रशिक्षित, अनुदेशित, शिक्षित करता है अथवा अर्हता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त ज्ञान और कौशलों को अर्जित करने के लिए अन्यथा सक्षम बनाता है।

xiii. "प्रशिक्षण प्रदाता", "प्रशिक्षण निकाय" अथवा "संस्था" और "संस्थान" से ऐसा व्यक्ति अथवा संगठन अभिप्रेत है, जो किसी अर्हता के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकाय से संबद्ध है।

xiv. किसी अन्य शब्द, जिसे यहाँ परिभाषित नहीं किया गया है, का अर्थ वही होगा, जो एनएसक्यूएफ की अधिसूचना सं. 8/6/2013-आईएनवीटी, दिनांक 27 दिसम्बर, 2013 में दिया गया है।

2. भारत में कौशल अर्हता फ्रेमवर्क के विकास की पृष्ठभूमि

2.1 राष्ट्रीय कौशल विकास नीति, 2009 के माध्यम से भारत ने एक राष्ट्रीय अर्हता फ्रेमवर्क विकसित करने की आवश्यकता को पहचाना था, जो सामान्य शिक्षा के साथ-साथ व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों का अधिक्रमण करेगा। नीति में यह परिकल्पना की गई थी कि इस फ्रेमवर्क से कौशल विकास में सुधारों को प्रोत्साहन और समर्थन दिया जाएगा और राष्ट्रीय स्तर पर मानकीकृत, स्वीकार्य तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुलनात्मक अर्हताओं की स्थापना में सुविधा प्रदान की जाएगी। इस तरह के फ्रेमवर्क को विकसित करने के लिए केन्द्रीय स्तर पर किसी संगठन के न होने के कारण, अलग-अलग मंत्रालयों ने फ्रेमवर्क विकसित करने पर काम करना शुरू कर दिया, जिन्हें बाद में उपलब्धता के अनुसार राष्ट्रीय फ्रेमवर्क में शामिल किया जाना था। तदनुसार, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने राष्ट्रीय व्यावसायिक अर्हता फ्रेमवर्क (एनवीक्यूएफ) विकसित किया और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा अर्हता फ्रेमवर्क (एनवीईक्यूएफ) विकसित किया।

2.2 एकीकृत फ्रेमवर्क की आवश्यकता को अनुभव करते हुए, मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया गया था, ताकि दोनों मंत्रालयों द्वारा पहले से किए गए कार्यों का उपयोग किया जा सके, क्योंकि राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) की स्थापना को आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 27 दिसम्बर, 2013 की अधिसूचना सं. 8/6/2013-आईएनवीटी के तहत अधिसूचित कर दिया गया था। इससे पूर्व, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) का संचालन और प्रचालन करने के अधिदेश के साथ जून, 2013 में राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी को अधिसूचित किया गया था ताकि क्षेत्र से संबंधित अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए गुणवत्ता और मानक सुनिश्चित किए जा सकें।

2.3 एनएसक्यूएफ की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न हुई :

i. व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण से जुड़ी नकारात्मक धारणा और युवाओं के बीच इसे चुनने में झिझक होना, जिसमें यह माना गया कि इस मार्ग से संबंधित व्यक्ति को उच्चतर डिग्रियाँ और अर्हताएं अर्जित करने के लिए योग्य बनाने के रास्ते बंद हो जाएंगे।

ii. शिक्षण और उन्नति के स्पष्ट मार्गों का अभाव, विशेष रूप से व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में, जिसमें वर्टिकल या हॉरिजोंटेल गतिशीलता के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है।

iii. विभिन्न अर्हताओं से जुड़े परिणामों में एकरूपता का अभाव, जिससे अवार्डिंग निकायों और संस्थानों में प्रायः देश के विभिन्न भागों में प्रमाणपत्र/ डिप्लोमा/ डिग्री की समतुल्यता स्थित करने में समस्याएं आती हैं, जिसके कारण छात्रों/ शिक्षुओं की रोजगार क्षमता और गतिशीलता प्रभावित होती है।

iv. ऐसे व्यक्तियों का एक बड़ा वर्ग मौजूद है, जिन्होंने अनौपचारिक क्षेत्र में कौशल अर्जित किया, लेकिन उनके पास अपने कौशल को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक औपचारिक प्रमाण पत्र नहीं है।

v. भारतीय अर्हताओं की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के लिए तंत्र का अभाव होने से छात्रों और श्रमिकों की अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

2.4 तदनुसार, एनएसक्यूएफ में निम्नलिखित अपेक्षा की गई:

i. शिक्षा और क्षमता आधारित कौशल फ्रेमवर्क को एकीकृत करें, क्रेडिट संचयन और हस्तांतरण प्रणाली प्रदान करें ताकि लोग अपनी जरूरतों और सुविधाओं के अनुसार अपने जीवन के विभिन्न चरणों में व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के बीच और विपरीत स्थान परिवर्तन कर सके।

ii. उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप गुणवत्ता कौशल अर्हता के विकास के लिए अर्हता और शिक्षण के परिणाम आधारित फ्रेमवर्क प्रदान करें, जिससे रोजगार के अलावा, डिग्रियों और डॉक्टरेट सहित उच्चतर अर्हता प्राप्त की जा सकेगी।

iii. उन्नति के मार्गों को पारदर्शी बनाएं ताकि संस्थान/ छात्र/ शिक्षु और नियोक्ता किसी विशेष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के बाद संभावित अवसरों के बारे में स्पष्ट हो और अर्हता में असमानता और असमता की समस्या का समाधान हो सके।

iv. पूर्व शिक्षा की मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से गैर-औपचारिक, अनौपचारिक पृष्ठभूमि और साथ ही स्कूल से बाहर की श्रेणी से संबंधित शिक्षुओं को मुख्य धारा में लाने में सक्षम बनाएं।

v. प्रासंगिक द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों के अनुसार, भारतीय अर्हताओं को अंतर्राष्ट्रीय अर्हताओं के साथ संरेखित करें।

3. एनएसक्यूएफ को संशोधित करने और युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता

वर्ष 2013 में एनएसक्यूएफ की अधिसूचना के बाद से, कौशल परिदृश्य में बड़े बदलाव हुए हैं। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल पर प्रोत्साहन के परिणामस्वरूप सरकार ने कुछ नीतिगत पहल शुरू ही है, जिनमें एनसीवीईटी की अधिसूचना और गठन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 का शुभारंभ और अप्रैल, 2023 में राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क का अनुमोदन शामिल है।

3.1 राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीवीईटी) की स्थापना

3.1.1 राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीवीईटी) को पूर्ववर्ती राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (एनएसडीए) और राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एनसीवीटी) का विलय करके दिनांक 10 अक्तूबर, 2018 के मंत्रिमंडल के अनुमोदन के साथ दिनांक 05 दिसम्बर, 2018 को अधिसूचना सं. एसडी-17/113/2017-ई एंड पीडब्ल्यू के तहत अधिसूचित किया गया था।

3.1.2 राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद् को अवार्डिंग निकायों, मूल्यांकन एजेंसियों, कौशल सूचना प्रदाताओं और प्रशिक्षण प्रदाताओं के कार्यकरण को मान्यता प्रदान करने और निगरानी रखने के लिए तथा अधिसूचना में यथानिर्दिष्ट अन्य कनुषंगिक कार्यों के निष्पादन के लिए व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के विकास, गुणात्मक सुधार और विनियमन का कार्य सौंपा गया है। एनसीवीईटी की स्थापना ने व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (वीईटी) तथा कौशल पारिस्थितिकी तंत्र में खंडित नियामक फ्रेमवर्क को भी समेकित किया है।

3.1.3 एनएसक्यूएफ को एनसीवीईटी में शामिल किया गया है और इसका कार्यान्वयन अन्य के साथ-साथ राष्ट्रीय कौशल अर्हता समिति (एनएसक्यूसी) के माध्यम से सुनिश्चित किया गया, जिसमें केन्द्रीय मंत्रालयों, नीति आयोग, उच्चतर और तकनीकी शिक्षा के नियामक, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई), केन्द्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई), चुनिन्दा राज्य कौशल विकास मिशन (एसएसडीएम), अवार्डिंग निकाय व प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी), क्षेत्रगत कौशल परिषदें (एसएससी) और चुनिन्दा उद्योग निकाय से प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है।

3.2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020

3.2.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 भारत सरकार द्वारा जुलाई, 2020 में शुरू की गई है। यह नीति शैक्षणिक और व्यावसायिक शाखाओं के बीच छात्रों और शिक्षुओं की वर्टिकल और हॉरिजोंटल गतिशीलता सुनिश्चित करते हुए सामान्य (शैक्षणिक) और व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण के द्वारा शिक्षा को अधिक समग्र और प्रभावी बनाने पर जोर देती है।

3.2.2 एनईपी 2020, कला, विज्ञान और वाणिज्य के बीच और पाठ्यचर्या, सह-पाठ्यचर्या और पाठ्येत्तर गतिविधियों के बीच और व्यावसायिक व सामान्य शिक्षा के बीच कड़े अंतर को

दूर करने पर जोर देती है। एनईपी लचीली पाठ्यचर्या संरचना और बहु-विषयक शिक्षण पर केन्द्रित है।

3.3 राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ)

3.3.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के विजन को पूरा करने के लिए, सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) अनुमोदित किया गया है जो प्राथमिक, विद्यालयी, उच्चतर और व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण को शामिल करने वाला एक व्यापक क्रेडिट फ्रेमवर्क है। एनसीआरएफ में शिक्षा को अधिक समग्र और प्रभावी बनाने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है और यह शैक्षणिक, कौशल और अनुभवजन्य शिक्षा के विभिन्न आयामों में शिक्षण को एकीकृत करने और क्रेडिट प्रदान करने के लिए एकल मेटा फ्रेमवर्क होगा, जिसमें प्रासंगिक अनुभव और प्रवीणता/ व्यावसायिक स्तर शामिल है, जो मूल्यांकन के अध्यधीन है।

3.3.2 एनसीआरएफ समस्त शिक्षा प्राप्ति और असाइनमैंट के लिए मूल्यांकन के अध्यधीन क्रेडिट प्रदान करने, उसका संचयन, भंडारण, हस्तांतरण और मोचन करता है, व्यावसायिक व सामान्य शिक्षा के बीच अंतर को समाप्त करता है और शैक्षणिक समानता स्थापित करता है जबकि उनके भीतर और उनके बीच गतिशीलता को सक्षम करता है तथा शैक्षणिक क्रेडिट बैंक (एबीसी) के माध्यम से इसका संचालन करता है।

3.3.3 एनसीआरएफ सामान्य शिक्षा और और व्यावसायिक शिक्षा में बहु-विषयक, बहु प्रवेश - बहु निकास (एमई-एमई) मार्ग को सक्षम बनाता है, छात्रों को उनकी प्रतिभा और रुचि के अनुसार उनके शिक्षण के मार्ग और करियर विकल्पों को चुनने के लिए लचीलापन सुनिश्चित करता है, जिसमें बीच में पाठ्यक्रम सुधार या संशोधन का विकल्प भी शामिल है।

3.3.4 राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) के तहत प्रत्येक शिक्षण के घंटे को उसके मूल्यांकन के अधीन क्रेडिट प्रदान किया जा सकता है। विद्यालयी/ उच्चतर/ व्यावसायिक शिक्षा/ कौशल (शाखाओं, विषयों आदि में स्वतंत्र) में दिए जाने वाले क्रेडिट स्तर, मूल्यांकन के अधीन शिक्षण के घंटों/ वर्षों की संचयी संख्या पर आधारित होते हैं।

3.3.5 क्रेडिट अर्जित करने के लिए, कोई भी पाठ्यक्रम/ अर्हता संबंधित अर्हता फ्रेमवर्क के अनुरूप होनी चाहिए और पाठ्यक्रम/ अर्हता प्राप्त करने के बाद अपेक्षित वांछित अर्हता और शिक्षण के परिणामों का स्पष्ट रूप से वर्णन करते हुए एक पूर्व निर्धारित एनसीआरएफ स्तर प्रदान किया जाना चाहिए। इसके अलावा, क्रेडिट प्रदान करने के लिए, पाठ्यक्रम/ अर्हता पूरी करने के बाद शिक्षण के परिणाम का मूल्यांकन करना होगा। एनसीआरएफ विद्यालयी शिक्षा, उच्चतर शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के लिए क्रेडिट पद्धति लागू करने का प्रस्ताव प्रदान किया है।

3.4 विद्यालयी शिक्षा और उच्चतर शिक्षा के अपने-अपने अर्हता फ्रेमवर्क हैं, जैसे उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अर्हता फ्रेमवर्क (एनएचईक्यूएफ) और विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क।

3.5 उपरोक्त परिवर्तनकारी नीतियों में राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) में विशेष रूप से स्तर विवरणकों (लेवल डेस्क्रिप्टर) को युक्तिसंगत बनाने, मानकीकृत न्यूनतम प्रवेश अपेक्षा मानदंड और नेशनल घंटों, एनसीआरएफ के साथ एनएसक्यूएफ के संरेखण और विशेष रूप से कौशल अर्हता फ्रेमवर्क पर अपना ध्यान केन्द्रित करने के संबंध में संबंधित संशोधनों की आवश्यकता बताई गई है।

4. राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) और इसके उद्देश्य

4.1 राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) एक परिणाम और अर्हता आधारित फ्रेमवर्क है, जो ज्ञान, कौशल, योग्यता और उत्तरदायित्व के स्तरों की एक श्रृंखला के अनुसार अर्हता का आयोजन करता है, जिसे शिक्षण के परिणामों के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है, जिसे शिक्षु को औपचारिक, गैर-औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से प्राप्त करना चाहिए, जिसमें शैक्षणिक, व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल व अनुभवजन्य शिक्षा शामिल हो सकती है, जिसमें अर्जित प्रासंगिक अनुभव और प्रवीणता/व्यावसायिक स्तर शामिल हैं, जो मूल्यांकन के अधीन है। इस प्रकार, एनएसक्यूएफ एक कौशल गुणवत्ता आश्वासन फ्रेमवर्क है।

4.2 राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क के मुख्य उद्देश्य और विशेषताएं

4.2.1 एनएसक्यूएफ की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :

i. शैक्षणिक, कौशल और अनुभवजन्य शिक्षा के विभिन्न आयामों में व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल शिक्षण का एकीकरण करने और क्रेडिट प्रदान करने का प्रावधान, जिसमें संगत अनुभव और अर्जित प्रवीणता/ व्यावसायिक स्तर शामिल है, जो मूल्यांकन के अध्यधीन है।

ii. पाठ्यक्रम/ अर्हता प्राप्त करने के बाद इसके लिए एक पूर्व निर्धारित एनएसक्यूएफ/ एनसीआरएफ स्तर प्रदान करते समय अपेक्षित ज्ञान, कौशल, अर्हता, उत्तरदायित्व और शिक्षण के परिणामों के संदर्भ में वांछित अर्हता स्तरों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना।

iii. विद्यालयी और उच्चतर शिक्षा सहित व्यावसायिक शिक्षा/ कौशल में क्रेडिट स्तरों को आवंटित करने की सुविधा प्रदान करना, जो शिक्षण के घंटों/ वर्षों की संचयी संख्या पर आधारित हों।

iv. शिक्षण के प्रकार प्रत्येक प्रकार और घंटों को उसके मूल्यांकन के अध्यधीन क्रेडिट प्रदान करना।

v. व्यावसायिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा के बीच शैक्षणिक समानता करना, साथ ही उनके भीतर और उनके बीच गतिशीलता सक्षम करना।

vi. विद्यालयी शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल तथा जॉब बाजारों के भीतर और उनके बीच बहु-विषयकता, बहु प्रवेश - बहु निकास (एमई-एमई) और प्रगति के मार्गों को सक्षम करना।

vii. छात्रों/ शिक्षुओं को अपने शिक्षण के मार्ग और कैरियर का विकल्प चुनने के लिए लचीलापन प्रदान करना, जिसमें पाठ्यक्रम के बीच सुधार का विकल्प शामिल हो।

viii. सभी क्षेत्रों में इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और जॉब पर प्रशिक्षण के माध्यम से उद्योग और नियोक्ताओं के साथ गहन साझेदारी के माध्यम से शिक्षण को मान्यता देना;

ix. एक विश्वसनीय मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से पूर्व शिक्षण को मान्यता (आरपीएल) प्रदान करना;

x. इस प्रकार, एनएसक्यूएफ आजीवन शिक्षण और कौशल विकास को सक्षम और प्रोत्साहन देता है।

4.2.2 राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अन्य उद्देश्यों में एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रदान करना है, जो :-

i. विद्यालयी शिक्षा, उच्चतर शिक्षा के साथ-साथ व्यावसायिक शिक्षा में इसे लागू करें और कार्यान्वयन योग्य बनाता है;

ii. राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किए जाने वाले परिणामों के आधार पर प्रत्येक स्तर के लिए अर्हता के विकास का प्रावधान करता है;

iii. प्रगति मार्गों के विकास और रखरखाव के लिए संरचना प्रदान करता है, जो अर्हताओं तक पहुंच को सक्षम बनाता है और छात्रों/ शिक्षुओं को विभिन्न शिक्षा और प्रशिक्षण क्षेत्रों के बीच और उन क्षेत्रों तथा उद्योग/ जॉब बाजार के बीच आसानी से और तत्परता से हस्तांतरित करने में सहायता करता है;

iv. व्यक्तियों को व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से प्रगति करने और उनके पूर्व शिक्षण और अनुभवों के लिए मान्यता प्राप्त करने का विकल्प प्रदान करता है;

v. व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल के लिए राष्ट्रीय नियामक और गुणवत्ता आश्वासन फ्रेमवर्क और प्रक्रियाओं को रेखांकित करता है;

vi. अंतर्राष्ट्रीय रूप से संरेखित अर्हताओं के साथ भारतीय अर्हताओं की आसान मान्यता और तुलना को सक्षम करने के माध्यम से एनएसक्यूएफ संरेखित अर्हताओं के साथ कार्यबल की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता का समर्थन और संवर्धन करता है।

5. राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क और उसके घटक

5.1 एनएसक्यूएफ लेवल डिस्क्रिप्टर

5.1.1 राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) एक परिणाम और अर्हता आधारित फ्रेमवर्क है, जो स्तर-1 (एक) से आठ (8) तक बना है, जिसमें स्तर-1, स्तर-2, स्तर-2.5, स्तर-3, स्तर-3.5, स्तर-4, स्तर-4.5, स्तर-5.0, स्तर-5.5, स्तर-6.0, स्तर-6.5, स्तर-7.0 और स्तर-8 शामिल है।

5.1.2 प्रत्येक स्तर उस स्तर के अनुरूप अर्हता प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक कौशल, जटिलता, ज्ञान, उत्तरदायित्व और स्वायत्तता के एक अलग स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। फ्रेमवर्क का स्तर एक सबसे कम जटिलता का प्रतिनिधित्व करता है जबकि उच्चतम स्तर अर्थात् स्तर आठ सबसे अधिक जटिलता का प्रतिनिधित्व करता है।

5.1.3 प्रत्येक एनएसक्यूएफ स्तर को पांच डोमेन में शिक्षण के परिणामों के संदर्भ में व्यक्त स्तर विवरणक (लेवल डिस्क्रिप्टर) के एक सेट द्वारा परिभाषित और वर्णित किया गया है, जिसमें सामान्य संदर्भ में, न्यूनतम ज्ञान, कौशल और ऐसे गुणों का वर्णन किया गया है, जिसे एक शिक्षु अर्जित करना चाहता है ताकि वह उस स्तर के लिए प्रमाणित हो सके। पांच डोमेन हैं (i) व्यावसायिक सैद्धान्तिक ज्ञान, (ii) व्यावसायिक और तकनीकी कौशल/ विशेषज्ञता, (iii) कौशल, मानसिकता, सॉफ्ट कौशल, रोजगार तैयारी और उद्यमशीलता कौशल, (iv) व्यापक शिक्षण के परिणाम और (v) उत्तरदायित्व का स्तर।

5.1.4 प्रत्येक स्तर विवरणक (लेवल डिस्क्रिप्टर) का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है :

क. व्यावसायिक सैद्धान्तिक ज्ञान : व्यावसायिक सैद्धान्तिक ज्ञान वह है, जिसे एक शिक्षु को संबद्ध कौशल के संदर्भ में जानना और समझना चाहिए। इसे निम्नलिखित शब्दों में वर्णित किया गया है :-

i. ज्ञान की गहराई सामान्य या विशिष्ट हो सकती है।
ii. ज्ञान का विस्तार एकल विषय से लेकर ज्ञान के बहुविषयक क्षेत्र तक हो सकता है।
iii. ज्ञान के प्रकार यथार्थपूर्ण से लेकर काल्पनिक तक, खंडित से लेकर संचयी तक होते हैं।
iv. ज्ञान की जटिलता का अभिप्राय ज्ञान के प्रकारों, गहनता और व्यापकता के संयोजन से है।

ख. व्यावसायिक और तकनीकी कौशल/विशेषज्ञता: व्यावसायिक और तकनीकी कौशल/ विशेषज्ञता वह है, जिसमें एक शिक्षु को जॉब भूमिका के लिए आवश्यक मुख्य कार्य के रूप में करने में सक्षम होना चाहिए। इन्हें कौशल के प्रकारों और जटिलता के संदर्भ में वर्णित किया गया है और इसमें शामिल है :-

i. विशिष्ट व्यावसायिक और तकनीकी कौशल; गतिविधियों/ कार्यों की विस्तृत श्रृंखला में व्यावसायिक ज्ञान और तकनीकी कौशलों की स्पष्टता का प्रदर्शन।
ii. एक विशिष्ट/ व्यापक क्षेत्र/ जॉब भूमिका में सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित ज्ञान का प्रयोग करना अथवा तकनीकी/ प्रक्रियाओं का प्रयोग करना।
iii. ज्ञान, कौशलों और समझ को प्राप्त करने और जहाँ संगत हो उस रेंज का प्रयोग करने की क्षमता।

iv. अधिकांश नियमित/ गैर-नियमित संदर्भों में संगत उपकरणों, और सामग्रियों की स्पष्ट पहचान कर सकते हैं।

v. कार्य/ नौकरी के लिए आवश्यक परिचालन कौशल/ अपेक्षित स्पष्टता और अनुमानित समय-सीमा के भीतर नौकरी/ कार्य को पूरा करने का कौशल।

vi. परिचित/ अपरिचित संदर्भों की सीमा के भीतर प्रक्रियाओं और कार्यविधियों का चयन करने की क्षमता।

vii. सरल/ जटिल समस्याओं और स्थितियों के लिए अभिनव और व्यवहार्य समाधान तैयार करने के लिए आवश्यक संज्ञानात्मक और व्यवहारिक कौशल की विस्तृत श्रृंखला।

viii. उच्चतर एनएसक्यूएफ स्तरों के लिए प्रौद्योगिकी/ संबंधित कौशल या नौकरी की भूमिका के तकनीकी वाणिज्यिक पहलू की समझ और प्रयोग।

ix. सहज, तार्किक और आलोचनात्मक सोच के उपयोग से जुड़े संज्ञानात्मक और रचनात्मक कौशल।

x. लिखित, मौखिक, साक्षरता और संख्यात्मक कौशल से जुड़े संप्रेषण कौशल।

xi. पारस्परिक कौशल और सामान्य कौशल।

xii. प्रौद्योगिकी और गैर-प्रौद्योगिकी दोनों क्षेत्रों में किसी विशेष नौकरी की भूमिका के संबंध में तकनीकी कौशल। तकनीकी कौशल विशिष्ट ज्ञान और विशेषज्ञता है, जो वास्तविक दुनिया की स्थितियों में विशिष्ट कार्यों को करने और विशिष्ट उपकरणों और कार्यक्रमों का उपयोग करना आवश्यक है।

ग. योग्यता, मानसिकता, सॉफ्ट कौशल, रोजगार तत्परता और उद्यमशीलता कौशल :

i. इस डोमेन में सामान्य रोजगार तत्परता और मानसिकता शामिल है, जिसमें संप्रेषण, डिजिटल, वित्तीय और कानूनी साक्षरता, समावेश और विविधता, उद्यमिता आदि शामिल हैं।

ii. सॉफ्ट कौशल और जीवन कौशल जैसे रचनात्मक और संज्ञानात्मक सोच और नवोन्मेष; आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान; सहयोग और टीम वर्क; सांस्कृतिक जागरुकता, विरासत और दक्षताएं; - स्थानीय और वैश्विक नागरिकता; नैतिक मूल्य और भावात्मक जागरुकता; वयैक्तिक और सामाजिक उत्तरदायित्व आदि;

iii. उच्चतर कौशल जैसे नवीन और अनुकूल सोच, डिजाइन मानसिकता, संगणनात्मक सोच, विविध सांस्कृतिक क्षमता, अंतर-विषयकता, नव

मीडिया साक्षरता, वर्चुअल सहयोग, सामाजिक बुद्धिमता और स्वतंत्र कला आदि।

घ. **व्यापक शिक्षण परिणाम :** व्यापक शिक्षण के परिणाम अन्य तीन डोमेन का दिए गए क्षमता स्तर के अनुसार एक सामान्य सार है, क्योंकि यह जॉब भूमिका के निर्वहन के लिए उस स्तर पर दिए गए उत्तरदायित्व के साथ तीन डोमेन को एकीकृत करता है।

i. पूर्व निर्धारित कार्यों को पूरा करना, नियमित/ पुनरावृत्ति वाले कार्यों को पर्यवेक्षक के साथ/ पर्यवेक्षक के बिना करना;
ii. परिचित, पूर्वानुमेय, नियमित स्पष्ट विकल्प की स्थिति, उत्पादन/ सेवाओं में मानक प्रक्रियाओं या प्रचालनों के प्रयोग की सीमा पर ध्यान केन्द्रित करना;
iii. बहुमुखी, न्यूनतम पर्यवेक्षण के साथ विशेष कार्यों को निष्पादित करने में कुशल, तकनीकी कौशलों का प्रयोग और स्पष्टता के साथ समस्या समाधान;
iv. समस्याओं की पहचान/ पूर्वानुमान और समाधान की संभावित सीमा;
v. तकनीकी विशेषज्ञता, जटिल समस्याओं को हल करने और आउटपुट में सुधार करने को अपनाना, विशिष्ट निर्णय लेना/ निश्चय करना;
vi. उन्नत तकनीकी कौशल, महत्वपूर्ण मापदंडों की निगरानी, प्रक्रियाओं का मूल्यांकन और सुधार तथा साक्ष्य आधारित निर्णय के साथ जटिल समस्याओं का समाधान करना।
vii. अर्जित उन्नत तकनीकी कौशलों, तकनीकी मूल्यांकन और समीक्षाओं को लागू करना;
viii. बड़े पैमाने पर परिवर्तन को आगे बढ़ाना और संसाधनों का प्रभावकारी प्रबंधन करना।

ङ. **उत्तरदायित्व :** उत्तरदायित्व की स्थिति निम्नलिखित का निर्धारण करती है :-

i. स्वयं के लिए और दूसरों के लिए उत्तरदायित्व का स्तर;
ii. कार्यों के लिए जवाबदेही;
iii. कार्यगत संबंधों की प्रकृति;
iv. परिवर्तन प्रबंधन।

5.1.5 विवरणक (डिस्क्रिप्टर) प्रत्येक स्तर पर शिक्षण के परिणामों के व्यापक, सामान्य लेकिन सार्थक संकेतक प्रदान करते हैं। तथापि, ऐसा नहीं है कि प्रत्येक अर्हता में स्तर विवरणकों (लेवल डिस्क्रिप्टर) में बताई गई सभी विशेषताएं होंगी या होनी चाहिए। विवरणकों का उपयोग कई तरीकों से किया जा सकता है :

क. शिक्षण के कार्यक्रमों और अर्हताओं को स्तर आवंटित करना

ख. शिक्षण के परिणामों के बीच व्यापक तुलना करने की अनुमति देना
ग. विभिन्न अर्हताओं और कार्यक्रमों के सत्यापन और संतुलन में
घ. अर्हताओं के शिक्षुओं और अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ संप्रेषण के आधार के रूप में
ङ. प्रशिक्षण क्षेत्रों के भीतर प्रगति मार्गों के मानचित्रण के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में
च. कार्यक्रम डिजाइनरों द्वारा कार्यक्रमों के लिए प्रवेश अपेक्षाएं एवं सिफारिशें करते समय।

5.1.6 इस अधिसूचना की तारीख की स्थिति के अनुसार स्तर विवरणकों (लेवल डिस्क्रिप्टर) का ब्यौरा **अनुबंध I** में है। तथापि, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के विकास, गुणात्मक सुधार और नियमन के लिए व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता और अपेक्षाओं के आधार पर स्तर विवरणकों (लेवल डिस्क्रिप्टर) में एनसीवीईटी परिषद् के अनुमोदन से आगे संशोधन किया जा सकता है।

5.2 अर्हताएं और राष्ट्रीय व्यवसाय मानक (एनओएस)

5.2.1 एक अर्हता में स्वतंत्र शिक्षण परिणामों के साथ शिक्षण की कई छोटी इकाइयाँ शामिल होती हैं, जिन्हें राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनओएस) कहा जाता है। एनओएस में किसी विशेष कार्य में लगे व्यक्ति से अपेक्षित मापनीय प्रदर्शन परिणामों को परिभाषित किया गया है और सूचीबद्ध किया गया है कि उस कार्य को करने वाले व्यक्ति को क्या जानना चाहिए और क्या करना चाहिए। ये मानक विभिन्न शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए मानक बन सकते हैं।

5.2.2 जिस तरह प्रत्येक जॉब भूमिका के लिए कई कार्यों के निष्पादन की आवश्यकता हो सकती है, इन कार्यों के अनुरूप सभी एनओएस का संयोजन उस जॉब भूमिका के लिए अर्हता बनाएगा। एनएसक्यूएफ के प्रत्येक स्तर के अनुरूप प्रत्येक अर्हता/ जॉब भूमिका के लिए अर्हता और घटक एनओएस संबंधी मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकाय द्वारा तैयार किए जाएंगे।

5.2.3 किसी दिए गए क्षेत्र के लिए कोई एबी न होने अथवा एबी की ओर से समय पर आवश्यक एनओएस/ अर्हता विकसित करने में असमर्थता की स्थिति में, एनसीवीईटी/ एनएसक्यूसी इस उत्तरदायित्व को संबंधित अवार्डिंग निकाय या क्षेत्र का अनुभव और ज्ञान रखने वाले किसी अन्य निकाय को सौंप सकते हैं।

5.3 माइक्रो क्रेडिंशियल : छोटी इकाइयाँ अर्थात् माइक्रो क्रेडेंशियल एक क्षेत्र के भीतर या मुख्य रूप से कौशल उन्नयन पर ध्यान केन्द्रित करते हुए विभिन्न क्षेत्रों मं विकसित की जा सकती हैं। माइक्रो क्रेडेंशियल का उद्देश्य कौशल और ज्ञान के सुसंगत सेट की उपलब्धियों को प्रमाणित करना है, जो उद्देश्य के विवरण, शिक्षण के परिणामों और उद्योग, नियोक्ता या सरकार द्वारा आवश्यकता होने के मजबूत साक्ष्य द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।

5.4 न्यूनतम प्रवेश मानदंडों और नोशनल घंटों के लिए मानकों का मानकीकरण :

5.4.1 एनएसक्यूएफ स्तर पर प्रत्येक अर्हता को प्रवेश मानदंडों, निर्धारित शिक्षण के परिणामों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नोशनल घंटों की न्यूनतम सीमा, जो राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) के अनुसार है, के संदर्भ में आगे परिभाषित किया जा सकता है। एक पूर्व निर्धारित शिक्षण के परिणाम के साथ किसी विशेष एनएसक्यूएफ स्तर पर एक अर्हता के लिए निम्नलिखित मूल तत्वों के संदर्भ में मानकीकरण का न्यूनतम स्तर होगा:

i. **न्यूनतम प्रवेश मानदंड:** चूंकि अर्हता/ जॉब भूमिका के प्रत्येक स्तर में अर्हता के एक परिभाषित स्तर की ओर जाने की संभावना है, अतः अर्हता के एक स्तर विशेष में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए न्यूनतम प्रवेश अपेक्षाएं परिषद् द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं। प्रवेश मानदंड में शैक्षणिक प्रमाण पत्र और/ अथवा पिछली व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल प्रशिक्षण तथा भावी छात्र/ शिक्षु का मौजूदा कार्य अनुभव शामिल हो सकता है।

ii. **नोशनल घंटों की न्यूनतम सीमा:** यद्यपि एनएसक्यूएफ स्तर सीधे अध्ययन की अवधि से संबंधित नहीं है, फिर भी प्रत्येक एनएसक्यूएफ संरेखित अर्हता के लिए एनसीवीईटी द्वारा न्यूनतम नोशनल घंटों की सीमा निर्धारित की जा सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक निश्चित स्तर की अर्हता के लिए प्रशिक्षण की न्यूनतम अवधि प्रदान की जाए। शिक्षण के नोशनल घंटों में सिद्धान्त, व्यावहारिक/ कौशल प्रशिक्षण, इंटर्नशिप, प्रशिक्षुता, ऑन द जॉब ट्रेनिंग (ओजेटी), रोजगार कौशल आदि शामिल हो सकते हैं।

5.4.2 इस अधिसूचना की तारीख के अनुसार, न्यूनतम प्रवेश मानदंड और नोशनल घंटों आदि के लिए मानदंडों के मानकीकरण का विवरण **अनुबंध-II** में है। तथापि, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के विकास, गुणात्मक और कौशल पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता और अपेक्षाओं के आधार पर एनसीवीईटी परिषद् के अनुमोदन के साथ न्यूनतम प्रवेश मानदंड और नोशनल घंटों आदि के लिए मानदंडों के मानकीकरण में और संशोधन किया जा सकता है।

5.5 अर्हता के लिए सहायक दस्तावेज

5.5.1 प्रत्येक अर्हता के लिए संबंधित अर्हता विकासकर्ता अवार्डिंग निकाय/ मूल्यांकन एजेंसी द्वारा निम्नलिखित के साथ सहायता दी जाएगी :-

i. प्रत्येक शिक्षण के परिणाम के लिए संभावित शिक्षण के परिणामों और निष्पादन मानदंड के साथ निर्धारित प्रारूप में अर्हता, एनओएस, माइक्रो केडेंशियल, विस्तृत प्रशिक्षण और शिक्षण की रणनीति तथा प्रक्रिया;

ii. मॉडल पाठ्यचर्या, छात्र की मार्गदर्शिका, विस्तृत पाठ्यक्रम, पाठ योजनाएं, शिक्षण के संसाधन;

iii. प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आवश्यक अवसंरचना, उपकरणों, उपस्करों, लैब/ कंप्यूटर लैब, कार्याशालाओं और अपेक्षित विशेष अवसंरचना की सूची, प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आवश्यक अवसंरचना, उपकरणों, उपस्करों, लैब/ कंप्यूटर लैब, कार्यशालाओं और अपेक्षित अन्य विशेष अवसंरचना का विस्तृत विनिर्देशन;

iv. प्रशिक्षण, मूल्यांकन और परीक्षण के लिए विस्तृत रणनीति और दिशानिर्देश;

v. प्रशिक्षण की अर्हताएं/ पात्रता/ अनुभव; प्रशिक्षण मैनुअल, प्रशिक्षक की मार्गदर्शिका, परियोजनाएं, असाइनमेंट, ट्यूटोरियल टीओटी अर्हता;

vi. मूल्यांकनकर्ता की अर्हताएं/ पात्रता/ अनुभव; मूल्यांकन मैन्युअल, मूल्यांकनकर्ता की मार्गदर्शिका, आकलनों के लिए प्रश्न बैंक, प्रायोगिक मूल्यांकनो के लिए जॉब कार्य, टीओए अर्हता;

vii. मॉडल पाठ्यचर्या के आधार पर बुनियादी ई-कंटेंट, एडवांस कंटेंट, ई-कंटेंट और अन्य डिजिटल संसाधन, मल्टीमीडिया संसाधन, एनिमेशन, सिमुलेशन, डिजिटल ट्विन, मेटावर्स आदि सहित;

viii. प्रशिक्षण संस्थान की अर्हता और प्रकार की आवश्यकता का साक्ष्य; दिव्यांगजनों को अर्हता प्रदान करने के लिए अपेक्षित कोई विशेष संसाधन;

ix. प्रत्येक अर्हता प्रशिक्षण के भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार हिन्दी/ भारतीय भाषा में तैयार की जाएगी;

x. मिश्रित शिक्षण के दिशानिर्देशों के अनुसार ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षण और मूल्यांकन किए जाने का ब्यौरा;

xi. एनएसक्यूएफ पाठ्यचर्या में शिक्षण का माध्यम निर्दिष्ट होना चाहिए, मॉड्यूलर होना चाहिए और कौशल संचयन की अनुमति होनी चाहिए तथा निकास और प्रवेश की सुविधा होनी चाहिए।

इन्हें प्रत्येक संबंधित अवार्डिंग निकाय (एबी)/ प्रशिक्षण प्रदाता/ मूल्यांकन एजेंसियों द्वारा एनएसक्यूएफ स्तर के लिए और प्रत्येक अर्हता/ एनओएस/ एमसी के लिए विकसित किया जाएगा।

5.6 उद्योग की भागीदारी:

5.6.1 चूंकि राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) विशेष रूप से उद्योग और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों (कामगार, तकनीशियन, पर्यवेक्षी, प्रबंधकीय, प्रबंधन आदि) के सभी स्तरों पर कुशल कार्यबल और जनशक्ति आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है, अतः एनएसक्यूएफ को उद्योग/ क्षेत्रों और नियोक्ताओं की भागीदारी के साथ लागू किया जाना चाहिए, जो इसकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण शर्त है।

5.6.2 अतः एनएसक्यूएफ में यह अधिदेश है कि छात्रों/ शिक्षुओं के लिए व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल अर्हता/ पाठ्यक्रम/ कार्यक्रमों को उद्योग और नियोक्ताओं के साथ गहन परामर्श करके अवार्डिंग निकायों द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार,

विकसित, वितरित, मूल्यांकन और प्रमाणित किया जाएगा, विशेष रूप से निम्नलिखित पहलुओं के संबंध में :-

i. अर्हताओं के डिजाइन और विकास के दौरान हितधारकों के परामर्श
ii. अर्हता की आवश्यकता और प्रासंगिकता स्थापित करने के लिए उद्योग द्वारा अर्हता का सत्यापन
iii. अर्हता प्रदान करने और मूल्यांकन करने के लिए उद्योग/ क्षेत्रों से संगत विशेषज्ञों को अनुमत करना और अनुदेशकों/ प्रशिक्षकों की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देशों में इसे निर्धारित करना।

5.6.3 अवार्डिंग निकाय कौशल प्रशिक्षण के उद्देश्य से किसी उद्योग के भीतर नियमित प्रशिक्षण केन्द्रों/ सुविधाओं को अपने संबद्ध प्रशिक्षण केन्द्रों के रूप में भी मान्यता दे सकते हैं।

5.6.4 इसके अलावा, उद्योग प्रशिक्षण संस्थान और/ अथवा अवसंरचना सहायता प्रदान करने के संदर्भ में भी सहायता प्रदान कर सकता है।

5.6.5 उद्योग द्वारा संचालित अर्हताओं को मामला-दर-मामला आधार पर एनएसक्यूएफ संरेखण के लिए विचार किया जा सकता है, यहाँ तक कि जहाँ संबंधित उद्योग एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकाय नहीं है, जिसके लिए तंत्र एनसीवीईटी द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

5.7 क्रेडिट और शिक्षण के नोशनल घंटे अवार्ड/अर्जित करना

5.7.1 राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) के तहत प्रत्येक शिक्षण के घंटे को उसके मूल्यांकन के अध्यधीन क्रेडिट किया जा सकता है। आवंटित किए जाने वाले क्रेडिट स्तर मूल्यांकन के साथ शिक्षण के वर्षों की संचयी संख्या पर आधारित होते हैं। क्रेडिट अर्जित करने के लिए पाठ्यक्रम/ अर्हता को संबंधित अर्हता फ्रेमवर्क के साथ संरेखित किया जाना चाहिए, वांछित क्षमता और अपेक्षित शिक्षण के परिणाम का स्पष्ट रूप से वर्णन करते हुए एक परिभाषित एनसीआरएफ स्तर आवंटित किया जाना चाहिए। साथ ही, क्रेडिट आवंटित करने के लिए पाठ्यक्रम/ अर्हता पूरी करने के बाद शिक्षण के परिणाम का मूल्यांकन किया जाएगा।

5.7.2 क्रेडिट यह मान्यता है कि शिक्षु ने किसी पूर्व पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जो किसी किसी दिए गए एनएसक्यूएफ/ एनसीआरएफ स्तर पर अर्हता के अनुरूप है। प्रत्येक पूर्व अनुमोदित अर्हता के लिए छात्र/ शिक्षु ने प्रासंगिक दक्षता और अर्जित व्यावसायिक स्तरों सहित शिक्षण के ऐसे घंटों (शैक्षणिक, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल तथा अनुभवजन्य शिक्षा) अथवा कार्यस्थल अनुभवजन्य शिक्षा में लगाना होगा ताकि अर्हता के भाग के रूप में पूर्व निर्धारित और अनुमोदित शिक्षण के परिणामों को प्राप्त

किया जा सके, जो विधिवत मान्यता प्राप्त मूल्यांकन एजेंसी द्वारा वैध, भरोसेमंद मूल्यांकन के अधीन है।

5.7.3 विद्यालयी शिक्षा, उच्चतर शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल में शिक्षा/ शिक्षण के एक वर्ष के लिए शिक्षण के कुल नोशनल घंटे क्रेडिट के असाइनमेंट के उद्देश्य से प्रति वर्ष 1200 घंटे निर्धारित किए गए हैं, जिसके लिए छात्रों/ शिक्षुओं को मूल्यांकन के अधीन 40 क्रेडिट दिए जाएंगे।

5.7.4 व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल में शिक्षण के घंटों में, उचित मूल्यांकन के माध्यम से स्थापित एनएसक्यूएफ/ एनसीआरएफ स्तर पर पूर्व निर्धारित शिक्षण के परिणामों को प्राप्त करने के अधीन निम्नलिखित हो सकते हैं :-

क. औपचारिक शिक्षा, जिसमें कक्षा में सीखना, प्रशिक्षण सत्र, कोचिंग, शिक्षण/ निर्देश शामिल हैं;

ख. कार्यशालाओं, प्रयोगशालाओं अथवा नवोन्मेषी प्रयोगशालाओं सहित अन्य स्थानों में प्रायोगिक हैंड्स-ऑन प्रशिक्षण;

ग. असाइनमेंट, ट्यूटोरियल, छोटी या बड़ी परियोजना के कार्य;

घ. परीक्षाएं, कक्षा परीक्षण, प्रश्नोत्तरी और सभी प्रकार के मूल्यांकन;

ङ. इंटर्नशिप प्रशिक्षुता, ऑन द जॉब प्रशिक्षण (ओजेटी), अर्थात् जॉब पर अभ्यास और सीखना - कार्यस्थल और औद्योगिक क्षेत्र के दौरे में कौशल प्राप्त करना, लागू करना और परिष्कृत करना;

च. प्रासंगिक दक्षता और अर्जित व्यावसायिक स्तर सहित अनुभवजन्य शिक्षा आदि;

छ. अनौपचारिक शिक्षा, उदाहरण के लिए समुदाय आधारित कार्यशालाओं, युवा समूहों, खेल समूहों (परिषद् द्वारा अलग से अधिसूचित की जाने वाली प्रक्रिया) के माध्यम से;

ज. खेलकूद, योग, शारीरिक गतिविधियाँ, प्रदर्शन कला, संगीत, हस्तशिल्प कार्य, सामाजिक कार्य, एनसीसी (परिषद् द्वारा अलग से अधिसूचित की जाने वाली प्रक्रिया) में विशेष उपलब्धियाँ।

5.7.5 राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) के तहत क्रेडिट गणना के उद्देश्य से एक क्रेडिट शिक्षण के 30 नोशनल घंटों के समतुल्य है। तथापि, परिषद् विशिष्ट अर्हता के लिए सैद्धान्तिक व्यावहारिक और अनुभवजन्य रूप से शिक्षण के लिए प्रति क्रेडिट अलग-अलग घंटों की संख्या प्रदान कर सकती है। क्रेडिट का आवंटन व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण, और कौशल क्षेत्र या शिक्षण के प्रकार से स्वतंत्र है। छात्रों/ शिक्षुओं को अतिरिक्त क्रेडिट प्राप्त करने के लिए 40 क्रेडिट के अतिरिक्त पाठ्यक्रम, कार्यक्रम, विषय या परियोजना की अनुमति दी जा सकती है।

5.7.6 क्रेडिट की संख्या शिक्षण के निर्धारित नोशनल घंटों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जा सकती है (जिसे एक निर्दिष्ट एनएसक्यूएफ स्तर पर एक 'औसत' शिक्षु से

शिक्षण के परिणाम प्राप्त करने के लिए लेने की अपेक्षा की जाती है)। यदि छात्र/ शिक्षु सफल मूल्यांकन के द्वारा निर्धारित पूर्व निर्धारित परिणाम प्राप्त करने के लिए अधिक या कम समय लेता है, तो कोई क्रेडिट जोड़ा या घटाया नहीं जाता है। यदि शिक्षण में परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं, तो छात्र/ शिक्षु को कोई क्रेडिट नहीं दिया जाएगा या उसके द्वारा 'अर्जित' नहीं किया जाएगा।

5.7.7 क्रेडिट के असाइनमेंट, संचयन, भंडारण, मोचन और हस्तांतरण की प्रक्रिया राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क के अनुरूप होगी, जिसमें पूर्व शिक्षण की मान्यता (आरपीएल), छात्र/ शिक्षु के गति वर्धन आदि जैसे विशेष प्रावधान शामिल हैं।

5.7.8 व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल में मिश्रित शिक्षण के लिए क्रेडिट का असाइनमेंट भी किया जा सका है, ताकि खुले शिक्षण के विकल्पों का विस्तार किया जा सके और शिक्षा, शिक्षण और कौशल में प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके। इससे भौतिक अवसंरचना और मापनीयता की बाधाओं को दूर करने में मदद मिलेगी, साथ ही पहुंच, समानता और सामर्थ्य में वृद्धि होगी और गुणवत्ता व जवाबदेही सुनिश्चित होगी। मिश्रित शिक्षण विकल्प से भारतीय भाषा में सीखना सुलभ होने के साथ-साथ दिव्यांगों के लिए भी पहुंच बढ़ेगी।

5.7.9 किसी वर्ग विशेष में छात्र द्वारा अर्जित कुल क्रेडिट अंक, अर्जित किए गए क्रेडिट को एनसीआरएफ स्तर से गुणा करके प्राप्त किए जा सकते हैं। क्रेडिट प्वाइंट को संबंधित नियामकों/ संस्थानों द्वारा विद्यालयी, उच्चतर, तकनीकी या व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों/ पाठ्यक्रमों में प्रवेश या दाखिले के लिए विभिन्न स्तरों पर विभिन्न लेटरल प्रवेश और निकास विकल्पों के साथ, हॉरिजोंटल और वर्टिकल गतिशीलता प्रदान करने के लिए जारी दिशानिर्देशों के अनुसार मोचन करके प्राप्त किया जा सकता है।

5.7.10 राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) के प्रावधानों के साथ पठित एनएसक्यूएफ, उद्देश्य के लिए वेटेज के आधार पर अर्जित संगत अनुभव और प्रवीणता/ व्यावसायिक स्तरों सहित अनुभवजन्य शिक्षा को क्रेडिट प्रदान किए जा सकते हैं, जो मूल्यांकन के अध्यधीन है।

5.7.11 एनएसक्यूएफ के प्रावधान एनसीआरएफ के प्रावधानों और एनसीआरएफ स्तरों के साथ संरेखित किए जाएंगे।

5.8 पूर्व शिक्षण की मान्यता (आरपीएल) प्रदान करने के लिए एनएसक्यूएफ

5.8.1 राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) के प्रावधानों के साथ पठित एनएसक्यूएफ में छात्रों/शिक्षुओं को शिक्षा और कौशल पारिस्थितिकी तंत्र में पुनः प्रवेश करने और आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किए गए हैं, यदि वे किसी भी स्तर पर पिछड़ गए हों या पढ़ाई छोड़ दी है, जिससे उन्हें औपचारिक शिक्षा पारिस्थिकी तंत्र में एकीकरण, प्रगति और गतिशीलता मिल सकेगी।

5.8.2 परंपरागत पारिवारिक विरासत, कार्य अनुभव या अन्य गैर-औपचारिक या अनौपचारिक तरीकों से अनौपचारिक रूप से ज्ञान और कौशल को अर्जित करने वाले कार्यबल के लिए पूर्व शिक्षा की मान्यता (आरपीएल) एनएसक्यूएफ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संबद्ध कार्य है, विशेष रूप से भारतीय संदर्भ में, जहाँ अधिकांश कार्यबल ने औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। इस प्रकार की पूर्व शिक्षा में औपचारिक शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के बाहर, कार्य स्थल, परिवार, समुदाय और/ अथवा स्वैच्छिक क्षेत्र में अनौपचारिक शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से निरंतर व्यावसायिक विकास गतिविधियों से या खुले/ अन्य स्रोतों से स्वतंत्र शिक्षा से प्राप्त ज्ञान और कौशल शामिल हो सकते हैं।

5.8.3 आरपीएल में उन शिक्षुओं को व्यक्तिगत या कैरियर विकास या क्रेडिट प्राप्त करने का विकल्प दिया जाएगा, जिनके पास आवश्यक कौशल तो है, लेकिन इसके लिए कोई औपचारिक प्रमाण पत्र नहीं है। एनएसक्यूएफ स्तर विवरणक (लेवल डिस्क्रिप्टर) के विरुद्ध किसी व्यक्ति की शिक्षा की बेंचमार्किंग उन्हें प्रगति के लिए उपयुक्त विकल्पों को पहचानने में मदद मिलेगी। इससे शिक्षुओं को उनके द्वारा पहले से प्राप्त की गई शिक्षा और भावी शिक्षा और/ अथवा करियर के अवसरों के बीच स्पष्ट संबंध बनाने में मदद मिलेगी। इससे शिक्षुओं की कैरियर प्रगति और कौशल उन्नयन में सुधार होगा और साथ ही, विशेषज्ञ व्यक्तियों के रूप में अनुभवी पेशेवरों को शामिल करने में सुविधा होगी।

5.8.4 एनसीवीईटी द्वारा समय-समय पर अधिसूचित “आरपीएल” के संबंध में दिशानिर्देश इस संबंध में लागू होंगे।

5.9 व्यावसायिक मानचित्र और प्रगति पथ

प्रत्येक अर्हता व्यावहारिक मानचित्र और प्रगति पथ को परिभाषित करेगी और उसे प्रदान करेगी, ताकि छात्रों/ शिक्षुओं की हॉरिजोंटल और वर्टिकल, दोनों गतिशीलता सक्षम हो सके। ऐसा होने के लिए, निम्नलिखित आवश्यक हैं :-

5.9.1 प्रत्येक स्तर अनेक उपायों के द्वारा उससे ऊपर और उससे नीचे के स्तरों से जुड़ा हुआ है। यदि किसी उद्योग क्षेत्र या शैक्षणिक डोमेन में ये उपाय उपलब्ध नहीं हैं, तो एनएसक्यूएफ इन अंतरालों की पहचान करने, खाका तैयार करने और समाधान करने में सहायता करेगा।

5.9.2 ऐसे अंतरालों को पूरा करना होगा और प्रमुख प्रशासनिक मंत्रालय, उस क्षेत्र में पहले से ही काम कर रहे नियामक निकाय, एनएसक्यूसी में शामिल एबी और अन्य हितधारकों को शामिल किया जाएगा और प्रक्रिया में आवश्यक सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया जाएगा।

5.9.3 वर्टिकल और हॉरिजोंटल मोबिलिटी सुविधा के लिए प्रत्येक अर्हता में प्रगति पथ निर्दिष्ट किए जाएंगे। इसके लिए, अवार्डिंग निकाय संबंधित क्षेत्र के स्पष्ट रूप से परिभाषित

व्यावसायिक मानचित्र (ओएम) विकसित करेंगे। ऐसे ओएम एक ही क्षेत्र के भीतर या सभी क्षेत्रों में मार्ग दिखा सकते हैं।

5.9.4 व्यावसायिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा के भीतर और बीच में बहु प्रवेश और बहु निकास विकल्पों के साथ हॉरिजोंटल और वर्टिकल प्रगति पथ एनसीआरएफ के प्रावधानों के अनुरूप तैयार किए जाएंगे।

5.10 अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मकता और गतिशीलता को सक्षम बनाना

5.10.1 क्रेडिट की अंतर्राष्ट्रीय समतुल्यता और हस्तांतरण संबंधित देशों के संबंधित नियामकों के बीच विभिन्न बहुपक्षीय/ द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से सक्षम है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी), विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) जैसे संगठनों की पहल के कारण क्षेत्रीय अर्हता फ्रेमवर्क (आरक्यूएफ) में भी तेजी आई है।

5.10.2 पेशेवर दक्षताओं, कौशल और ज्ञान के पारदर्शी सेट की मांग से छात्रों और पेशेवरों की अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता में वृद्धि हुई है। अतः देशों के बीच, विभिन्न अर्हताओं की समतुल्यता की स्वीकार्यता छात्रों और पेशेवरों की अंतर्राष्ट्रीय समतुल्यता और गतिशीलता को सक्षम बनाने के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है।

5.10.3 इसमें अर्हताओं के बीच समतुल्यता स्थापित करने के लिए एक मापनीय विधि की आवश्यकता की अनिवार्यता है ताकि देशों के बीच शिक्षुओं और कामगारों के कौशलों, तुलनाओं और गतिशीलता की पहचान हो सके।

5.10.4 राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ), एनसीआरएफ के संयोजन से अर्हताओं को संरचित करने का एक तरीका प्रदान करता है, जो न केवल पाठ्यक्रम बल्कि शिक्षण के परिणामों द्वारा परिभाषित है और इसलिए शिक्षण के परिणामों को मापने और समतुल्यता स्थापित करने के लिए अर्हताओं की तुलना कनरे के लिए एक विश्वसनीय तरीका बन जाता है।

5.10.5 क्रेडिट प्रदान करने और संचयन करने के लिए मानकीकृत राष्ट्रीय फ्रेमवर्क के रूप में एनएसक्यूएफ क्रेडिट हस्तांतरण प्रावधानों के माध्यम से कौशल के अंतर्राष्ट्रीयकरण को प्रोत्साहित करता है, जिससे ये क्रेडिट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक स्वीकार्य और हस्तांतरणीय हो जाते हैं। इस प्रकार, एनएसक्यूएफ अंतर्राष्ट्रीय समतुल्यता के माध्यम से विदेशी कौशल निकायों और संस्थानों के साथ आदान-प्रदान को बढ़ावा देकर अन्य देशों द्वारा भारतीय शिक्षा और कौशल की व्यापक मान्यता और स्वीकृति को सक्षम बनाता है।

5.10.6 एनएसक्यूएफ द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय समझौता ज्ञापनों और करारों के लिए भारतीय कौशल अर्हता स्तरों को अन्य देशों/ क्षेत्रों के साथ जोड़ने और संरेखित करने का एक साधन प्रदान करेगा। इससे भारतीय एनएसक्यूएफ संरेखित अर्हता धारकों को दुनिया के अन्य हिस्सों में काम करने और/ या स्थानांतरित होने में गतिशीलता को सुविधाजनक

बनाने में मदद मिलेगी। एनएसक्यूएफ दुनिया भर में विकसित हो रहे विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रीय फ्रेमवर्क के साथ इंटरफेस का माध्यम भी होगा।

6. राष्ट्रीय अर्हता रजिस्टर (एनक्यूआर)

6.1 यह सुनिश्चित करने के लिए कि शिक्षा उच्चतर शिक्षा और कौशल पारिस्थितिकी तंत्र के सभी हितधारकों के पास, जिनमें अवार्डिंग निकाय, मूल्यांकन एजेंसियाँ, प्रशिक्षण प्रदाता, प्रशिक्षण केन्द्र, संस्थान, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राज्य स्कूल बोर्ड, स्कूल, शिक्षक, अनुदेशक, प्रशिक्षक, अभिभावक और छात्र/ शिक्षु शामिल हैं। राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुसार वर्तमान में संरेखित और अनुमोदित सभी अर्हताओं तक पहुंच हो, राष्ट्रीय अर्हता रजिस्टर (एनक्यूआर) पर अर्हताएं अपलोड की जाती हैं और परिषद् द्वारा उनका रखरखाव और नियमित रूप से अद्यतन किया जाएगा।

6.2 राष्ट्रीय अर्हता रजिस्टर (एनक्यूआर) एनएसक्यूएफ स्तरों से जुड़ी और एनएसक्यूसी द्वारा अनुमोदित सभी अर्हताओं का आधिकारिक राष्ट्रीय सार्वजनिक रिकॉर्ड होगा। अर्हता रजिस्टर को वेब पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा और नियमित रूप से अद्यतन किया जाएगा।

6.3 एनक्यूआर में राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुसार संरेखित और अनुमोदित सभी वर्तमान और पिछली अर्हताओं को सूचीबद्ध किया जाएगा, साथ ही उनके नाम, कोड संख्या, संबंधित क्षेत्र/ अवार्डिंग निकाय, अनुमोदन की तिथि, मौजूदगी, संस्करण/ संशोधन, अभिलेखीकरण आदि का पूरा विवरण भी दिया जाएगा।

6.4 एनक्यूआर में वर्तमान में उपलब्ध अर्हताएं शामिल होंगी, जो संग्रहीत हैं या समाप्त हो चुकी हैं और प्रस्तावित किए जाने के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

6.5 यह संबंधित हितधारकों का उत्तरदायित्व होगा कि वे कौशल पारिस्थितिकी तंत्र में किसी अर्हता को प्रस्तुत करने से पहले एनक्यूआर पर उसकी मौजूदगी और उपलब्धता की जाँच करे।

7. संशोधन का साझाकरण

7.1 कौशल पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न हितधारकों और संगठनों द्वारा पहले से सृजित संसाधनों के साझाकरण को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि उपलब्ध धन और विशेषज्ञता का अनुकूल उपयोग किया जा सके।

7.2 उद्योग और नियोक्ताओं को कौशल/ व्यावसायिक प्रशिक्षक प्रदाताओं/ संस्थानों के साथ साझेदारी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि कार्यस्थल की आवश्यकताएं और प्रकृति कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अभिन्न अंग बन सके।

7.3 समय-समय पर एनसीवीईटी द्वारा अधिसूचित अवार्डिंग निकायों द्वारा अर्हता, एनओएस और माइक्रो क्रेडेंशियल को अपनाने के लिए दिशानिर्देश इस संबंध मं लागू होंगे।

7.4 व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल अर्हता और शिक्षण के संसाधनों का साझाकरण : दो प्रकार की अर्हताएं और शिक्षण संबंधी संसाधन होंगे :

i. सबसे पहले, सार्वजनिक डोमेन या खुले संसाधनों में उपलब्ध संसाधन, जिन्हें राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीवीईटी) द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों का पालन करने के अधीन साझा किया जाएगा। सरकार या निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व से धनराशि के साथ विकसित कोई संसाधन एक सार्वजनिक संसाधन होगा।

ii. दूसरे, अवार्डिंग निकायों, प्रशिक्षण प्रदाताओं या मूल्यांकन एजेंसियों द्वारा विकसित विस्तृत और उन्नत संसाधन, जहाँ विकास, प्रबंधन और उपयोग अधिकार संबंधित विकासकर्ता के पाठ उपलब्ध होंगे। इन संसाधनों का उपयोग अन्य लोगों द्वारा वित्तीय आवेदनों के साथ या उसके बिना आपसी सहमति के आधार पर मालिकों की अनुमति से किया जा सकता है।

iii. सार्वजनिक हित में, परिषद् किसी भी संसाधन को सार्वजनिक संसाधन घोषित कर सकती है।

8. एनएसक्यूएफ का कार्यान्वयन

8.1 एनसीवीईटी में शामिल राष्ट्रीय कौशल अर्हता समिति (एनएसक्यूसी) एनएसक्यूएफ के कार्यान्वयन के लिए एक सर्वोच्च निकाय है। परिषद् द्वारा गठित एनएसक्यूसी में अन्य के बीच चुनिन्दा केन्द्रीय मंत्रालयों, शिक्षा और कौशल व्यवस्था के नियामक निकायों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई), प्रशिक्षण महानिदेशक (डीजीटी), केन्द्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई), चुनिन्दा एसएसडीएम (रोटेशन द्वारा), चुनिन्दा उद्योग संघों, अवार्डिंग निकायों के प्रतिनिधियों सहित क्षेत्रीय प्रतिनिधि शामिल हैं।

8.2 बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एनसीवीईटी परिषद् के अनुमोदन से एनएसक्यूसी की संघटन को संशोधित किया जा सकता है। एनएसक्यूसी क्षेत्रीय मुद्दों के समाधान के लिए विशिष्ट उप समितियों की स्थापना करने के लिए स्वतंत्र होगा। विशिष्ट क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले और "क्षेत्रीय प्रतिनिधियों" के समूह के अंतर्गत सूचीबद्ध एनएसक्यूसी के सभी सदस्य क्षेत्र पर उप समिति का हिस्सा हो सकते हैं।

8.3 एनसीवीईटी एनएसक्यूएफ संरेखण और अर्हताओं के अनुमोदन की प्रक्रिया विवरणों के संबंध में एसओपी और दिशानिर्देश भी निर्धारित करेगा।

8.4 एनएसक्यूसी के कार्य इस प्रकार होंगे :

8.4.1 एनएसक्यूएफ के लिए अर्हता/ एनओएस/ एमसी के संरेखण से संबंधित सभी नीतियाँ, उनका संशोधन, प्रशिक्षक और मूल्यांकनकर्ता मानदंड आदि।

8.4.2 एनएसक्यूसी द्वारा मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकायों (एबी) या एनसीवीईटी द्वारा ऐसा करने के लिए अधिकृत किसी अन्य निकाय तैयार अर्हता, राष्ट्रीय व्यवसाय मानकों (एनओएस) और माइक्रो क्रेडेंशियल (एमसी) का एनएसक्यूएफ संरेखण और अनुमोदन।

8.4.3 समय-समय पर बदलती आवश्यकताओं/ नीतियों को ध्यान में रखते हुए एनएसक्यूएफ संरेखण और अनुमोदन के लिए प्रक्रिया को मानकीकृत करना और उसकी समीक्षा करना।

8.4.4 आरपीएल अर्हताओं को अपनाने और डिप्लोमा अर्हताओं के संरेखण आदि से संबंधित दिशानिर्देश/ एसओपी निर्धारित करना।

8.4.5 यह सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करना कि एबी अर्हताओं में शामिल हों और प्रशिक्षण प्रदाताओं सहित कार्यान्वयन एजेंसियाँ, प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं, दिव्यांगों आदि सहित आबादी के वंचित वर्गों की विशेष जरूरतों को संबोधित करें।

8.4.6 भविष्य की कौशल अर्हता, ओईएम अर्हता, क्रॉस-सेक्टोरल बहु कौशल और विरासत/ पारंपरिक क्षेत्रों से संबंधित अर्हताओं/ एनओएस/ एमसी के विकास और एनएसक्यूएफ संरेखण को प्रोत्साहित करे।

8.4.7 स्कूलों, उच्चतर शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के लिए कौशल अर्हताओं को संशोधित, संरेखित और अनुमोदित करना।

8.4.8 स्कूली, उच्चतर शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित कौशल अर्हताओं के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों का समाधान करना।

8.4.9 एनक्यूआर पर अर्हताओं को अपलोड करने, संशोधित करने और संग्रहित करने की प्रक्रिया निर्धारित करना और उसे अनुमोदित करना।

8.4.10 विभिन्न क्षेत्रों के लिए व्यावसायिक मानचित्र को अनुमोदित करना और सभी स्वायत्त निकायों द्वारा इसका अनुपालन और कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

8.4.11 प्रमाणपत्र के लिए मानदंड और प्रारूप विकसित/ अनुमोदित करना।

8.4.12 एनसीआरएफ के अनुरूप व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में क्रेडिट आवंटन, संचयन, भंडारण एवं क्रेडिट हस्तांतरण के लिए तंत्र को अनुमोदित करना तथा एनएसक्यूएफ के लिए पाठ्यक्रमों के संरेखण, व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के लिए क्रेडिट हस्तांतरण आदि के संबंध में मंत्रालयों/ विभागों/ नियामक निकायों के बीच मामलों की समीक्षा करना और उनका समाधान करना।

8.4.13 अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता की अनुमति देने के लिए व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण/ कौशल विकास से संबंधित राष्ट्रीय अर्हताओं को अंतर्राष्ट्रीय अर्हता फ्रेमवर्क के साथ संरेखित करने के लिए सभी कदम उठाना और समन्वयन करना।

8.4.14 सभी क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए उच्च मानकों एवं गुणवत्ता की स्थापना और रखरखाव के लिए आवश्यक समझा जाने वाला कोई अन्य मामला।

8.5 मूल्यांकन

8.5.1 परिषद् के अधिदेश के अनुसार, व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए सभी मूल्यांकन, एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित अर्हताओं के संबंध में आयोजित सभी प्रशिक्षणों के लिए एनसीवीईटी मान्यता प्राप्त मूल्यांकन एजेंसियों द्वारा समय-समय पर परिभाषित मानदंडों के अनुसार, एनएसक्यूसी के अनुमोदन के बाद किए जाएंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि परिणाम उचित एनएसक्यूएफ स्तरों के अनुरूप हों।

8.5.2 यदि एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त मूल्यांकन एजेंसियों द्वारा मूल्यांकन नहीं किया गया है, तो अवार्डिंग निकाय या किसी अन्य एजेंसी द्वारा कोई एनसीवीईटी प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा।

8.6 प्रमाणपत्र

8.6.1 समय-समय पर एनसीवीईटी द्वारा अधिसूचित अवार्डिंग निकायों की मान्यता और विनियमन के लिए परिभाषित और अधिसूचित मानदंडों के अनुसार एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित अर्हताओं के लिए एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकायों द्वारा प्रमाणपत्र किया जाएगा।

8.6.2 प्रमाणपत्र, एनएसक्यूसी के अनुमोदन के बाद, समय पर एनसीवीईटी द्वारा जारी अनुमोदित प्रारूप में छात्र/ शिक्षु के सफल मूल्यांकन के बाद जारी किया जाएगा।

8.6.3 राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीवीईटी) इस प्रमाणपत्र को जारी करने की विधि या तो कौशल भारत डिजिटल पोर्टल या एनसीवीईटी द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित करेगी।

8.7 कार्यान्वयन के लिए विविधि प्रावधान

8.7.1 केन्द्र और राज्य सरकारें, केन्द्रीय मंत्रिमंडल/ विभाग, राज्य सरकार के विभाग, राज्य कौशल विकास मिशन (एसएसडीएम) आदि यह सुनिश्चित करने के लिए नेतृत्व प्रदान करेंगे कि सभी हितधारक अपने तत्वावधान में व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को एनएसक्यूएफ संरेखित करे ताकि अधिक मूल्य और गतिशीलता सुनिश्चित हो सके। राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करने के लिए तौर-तरीके निर्धारित करने में भी मदद करेंगी कि क्षेत्रीय विविधता के लिए प्रावधान किए जाने के साथ-साथ वे निर्धारित मानकों और प्रक्रियाओं से विचलित न हों, जिससे एनएसक्यूएफ के माध्यम से गुणवत्ता आश्वासन को क्षति पहुंचे।

8.7.2 किसी भी कार्यक्रम के लिए सरकारी वित्तपोषण केवल एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित अर्हता/ पाठ्यक्रमों पर व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल के लिए उपलब्ध हो सकता है।

8.7.3 सभी सरकारी वित्तपोषित प्रशिक्षण और शिक्षा संस्थान विभिन्न व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (वीईटी) पाठ्यक्रमों (स्कूल और उच्चतर शिक्षा, दोनों) में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित करेंगे, जो गतिशीलता को सुविधाजनक बनाने के लिए एनएसक्यूएफ के साथ संरेखित है।

8.7.4 मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकायों को शुल्क आधारित कार्यक्रमों में भी एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित अर्हताएं संचालित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

8.7.5 एनएसक्यूएफ को सभी शैक्षणिक संस्थानों द्वारा उनके व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल संबंधी कार्यक्रमों के लिए अंगीकार किया जा सकता है।

8.7.6 केन्द्र और राज्य सरकारें अपने भर्ती नियमों और अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नियमों में संशोधन कर सकती है ताकि एनएसक्यूएफ स्तरों के संदर्भ में सभी कार्यबल संबंधी पदों के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित किए जा सकें।

8.7.7 यह अधिसूचना 2013 की पूर्ववर्ती एनएसक्यूएफ अधिसूचना का स्थान लेगी।

9. प्रावधानों के कार्यान्वयन में कठिनाइयों का निवारण

इस नीति के कार्यान्वयन के दौरान आने वाली चुनौतियों/ कठिनाइयों का मूल्यांकन किया जाएगा और उनका समाधान किया जाएगा और यदि कोई तत्काल/ अल्प संशोधन आवश्यक है, तो उसे एनसीवीईटी के अध्यक्ष के अनुमोदन से जारी किया जाएगा, जिसे परिषद् द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया जाएगा। दिशानिर्देशों के किसी भी प्रावधान के संबंध में परिषद् की व्याख्या/ निर्णय अंतिम होगा।

अनुबंध-I

एनएसक्यूएफ स्तरों के लिए स्तर विवरणक (लेवल डिस्क्रिप्टर)

(प्रत्येक स्तर पर सूचीबद्ध अधिकांश मापदंडों को लागू किया जाना है)

एनएसक्यूएफ स्तर	व्यावसायिक सैद्धान्तिक ज्ञान	व्यावसायिक और तकनीकी कौशल/ विशेषज्ञता	अभिक्षमता, मानसिकता, सॉफ्ट कौशल, रोजगार तैयारी और उद्यमशीलता कौशल	व्यापक शिक्षण के परिणाम	उत्तरदायित्व
ब्यौरे	व्यावसायिक ज्ञान और समझ तथा ऐसे ज्ञान का प्रयोग करना	अपेक्षित व्यावसायिक और तकनीकी कौशल और कार्यों की निष्पादित और पूरा करने के लिए उनका प्रयोग करना	सामान्य रोजगार तैयारी और उद्यमशीलता कौशल तथा मानसिकता (संप्रेषण) डिजिटल, वित्तीय और कानूनी साक्षरता, उद्यमशीलता, समावेशिता और विविधता, साक्षरता और गणनात्मक	सामान्य शिक्षण के परिणाम (अपेक्षित निष्पादन मानदंड और प्रक्रिया अनुकूलन)	जॉब का उत्तरदायित्व स्तर
स्तर-1 संक्षिप्त रूपरेखा/ विवरण	• प्रारंभिक ज्ञान • कार्य के संदर्भ को समझने के लिए पहचान करके या स्मरण करके प्रदर्शनीय कार्य में प्रारंभिक ज्ञान होना	• भूमिका सीमित कौशल • निर्देशित गतिविधियों को करते समय बुनियादी कौशलों की संकीर्ण सीमा पुनरावृत्ति की प्रकृति की होती है, जिनके लिए किसी पूर्व अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती।	• बुनियादी रोजगार तैयारी • अति संकीर्ण बुनियादी रोजगारपरक कौशल, जिनमें वित्तीय और डिजिटल साक्षरता की संप्रेषण कौशल और बुनियादी समझ, डिजिटल भुगतान और आधार शामिल हैं।	• नियमित/ पुनरावृत्ति कार्य • पूर्ण आदेशों और गहन पर्यवेक्षण में नियमित और पुनरावृतिक कार्यों को पूरा करना	• सहायक • सहायक/ जमीनी स्तर के कार्यकर्ता के रूप में हमेशा निरंतर अनुदेश और गहन पर्यवेक्षण के अंतर्गत कार्य करना।
स्तर-1	• पहचान करके अथवा स्मरण करके प्रदर्शनीय कार्य क्षेत्र में प्रारंभिक ज्ञान होना • सामान्य व्यापार शब्दावली और	• बुनियादी कौशलों की संकीर्ण सीमा होना • बहुत बुनियादी प्रयोगात्मक कौशल होना। अनुदेशात्मक कार्यों को समझने और	• बहुत ही संकीर्ण बुनियादी रोजगारपरक कौशल, जिसमें देशी भारतीय भाषा में संप्रेषण कौशल होना शामिल है। • बुनियादी पठन और लेखन कौशल; बुनियादी अंक गणितीय कौशल	• नियमित और पुनरावृत्ति प्रकृति के सुपरिभाषित कार्य का निष्पादन करना • एक हेल्पर/ सहायक की सीमित पूर्व निर्धारित	• प्रथम स्तर के हेल्पर/ जमीनी स्तर के कार्यकर्ता के रूप में काम करना दिए गए कार्य के लिए कोई प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व

	अनुदेशात्मक शब्दों के अर्थ और समझ की संकीर्ण सीमा से परिचित होना • कार्य के संदर्भ को समझने के लिए व्यक्तिगत ज्ञान का प्रयोग करने में सक्षम और कुछ गुणवत्ता मापदंड होना	कार्यनिष्पादन करने के लिए योग्य, ऐसे निर्देशात्मक क्रियाकलापों और पुनरावृत्ति प्रकृति की प्रक्रियाओं को करना, जिनमें कोई पूर्व अभ्यास आवश्यक नहीं। • बुनियादी उपकरणों के प्रयोग से अनुदेशित क्रियाकलाप करना	होना चाहिए • वित्तीय और डिजिटल साक्षरता, डिजिटल भुगतान और आधार की बुनियादी समक्ष होना	बुनियादी भूमिका में कार्य करना • कार्य को पूर्ण अनुदेशों और गहन पर्यवेक्षण के अंतर्गत करना • पुनरावृत्ति के कार्य के प्रयोग पर ध्यान देना • बुनियादी सुरक्षा और सामान्य साफ सफाई मानकों की जानकारी होना	अथवा जवाबदेही नहीं होना • हमेशा सतत अनुदेशों और गहन पर्यवेक्षण के अंतर्गत कार्य करना
स्तर-2 संक्षिप्त रूपरेखा/ विवरण	• **मौलिक ज्ञान** • एक सीमित संदर्भ में बुनियादी सामग्रियों, उपकरणों, अनुप्रयोगों की समझ के साथ कार्य के क्षेत्र में बुनियादी कार्य/ संचालनात्मक ज्ञान होना	• **सीमित नियत कौशल** • कार्यात्मक भूमिकाओं की सीमित सीमा में संरचित कार्य निष्पादन करना। परिचित समस्याओं के लिए ज्ञात समाधानों का उपयोग करना	• **रोजगार तैयारी** • लिखित और मौखिक संदेश/ संप्रेषण को स्पष्ट रूप से प्राप्त करना और प्रसारित करना। छोटे व्यावसायों के लिए व्यापक लेकिन बुनियादी रोजगार कौशलों का होना, जिनमें बुनियादी स्व-रोजगार/ उद्यमशीलता की मानसिकता होना	• **पूर्व निर्धारित कार्य करना** • उम्मीदवार नियमित और पूर्वानुमानित गतिविधियों की सीमित सीमा वाली जॉब कर सकता है। बुनियादी सीमा और गुणवत्ता मानदंडों को समझता है।	• **सहायक** • सहायक के रूप में कार्य प्रदान करने और गुणवत्ता की सीमित उत्तरदायित्व होना
स्तर-2	• कार्य के क्षेत्र में बुनियादी कार्य/ संचालन का ज्ञान • सीमित संदर्भ में बुनियादी सामग्रियों, उपकरणों, अनुप्रयोगों	• पूर्व निर्धारित संदर्भ में सीमित संबंधित कौशल • कार्यात्मक भूमिकाओं की सीमित सीमा में संरचित कार्य निष्पादन करना। • परिचित समस्याओं के	• पढ़ने और लिखने तथा सरल कंप्यूटेशनल गणित की क्षमता - संख्यात्मक और साक्षरता • लिखिति और मौखिक संदेश/ संप्रेषण को स्पष्ट रूप से प्राप्त करना और प्रेषित करना।	• उम्मीदवार नियमित और पूर्वानुमानित गतिविधियों की सीमित आवश्यकता वाली नौकरी कर सकता है। • कार्य अधिकतर	• अधिकांशत: अनुदेशन और पर्यवेक्षण के तहत काम करना • काम की डिलीवरी और गुणवत्ता के लिए सीमित उत्तरदायित्व

	को समझना • स्वयं सहायता समूह के सदस्य/ सूक्ष्म उद्यमी के लिए व्यावसायिक गतिविधि, कच्चे माल, तैयार उत्पाद/ सेवा और स्थानीय बाजार का बुनियादी ज्ञान होना • अनुदेशों और पर्यवेक्षण के तहत पुनरावृत्ति वाले कार्यों को समझने और निष्पादित करने में सक्षम होना • बुनियादी गुणवत्ता, सुरक्षा और सामान्य स्वच्छता मानदंडों को समझना। पर्यावरणीय पहलुओं से परिचित होना	लिए ज्ञात समाधानों का उपयोग करना • कार्य और गुणवत्ता के सीमित संदर्भ में प्रासंगिक उपकरणों और सामग्रियों की पहचान करने तथा उनका उपयोग करने का कौशल • स्वयं सहायता समूह के सदस्यों, शूक्ष्म उद्यमियों के लिए निर्माण या विनिर्माण (हस्तशिल्प, पारंपरिक वस्तुएं आदि) सेवा और विपणन आदि के लिए कार्य कौशल होना	• सहायक के रूप में एक टीम के भीतर काम करना। • सुरक्षा, स्वच्छता और पर्यावरण, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक विविधता की समझ • लघु व्यवसायों के लिए बुनियादी स्व-रोजगार/ उद्यमी मानसिकता सहित व्यापक लेकिन बुनियादी रोजगार कौशल होना। • वित्तीय और डिजिटल साक्षरता, आधार और मोबाइल, डिजिटल भुगतान आदि के उपयोग की समक्ष होना	अनुदेशों और पर्यवेक्षक के अंतर्गत किए जाते हैं। • कौशल और कार्य के अभ्यास पर ध्यान केन्द्रित करना, पूर्व निर्धारित और नए दोनों में। • स्वयं सहायता समूह के सदस्यों, भूक्षम उद्यमियों (जेएसएस) के लिए प्रक्रिया और वितरण की पूरी तरह से स्पष्ट समझ होना • बुनियादी सुरक्षा और सामान्य स्वच्छता मानदंडों को समझना	होना • स्वयं सहायता समूह के सदस्यों, शूक्ष्म उद्यमियों (जेएसएस) के लिए स्थानीय बाजारों में उत्पादन और विपणन की अंतिम उत्तरदायित्व होना
स्तर 2.5 से 3 रूपरेखा/ विवरण	• **ज्ञान की सीमा** • मानक प्रक्रियाओं की निर्धारित सीमा का ज्ञान, परिचित समस्याओं के लिए	• **तकनीकी कौशल की सीमा** • परिचित संदर्भों की सीमा में समस्या और मुद्दों की पहचान के लिए	• **टीम तैयारी और उद्यमशीलता तैयारी** • व्यापक रोजगार कौशलों के साथ टीम वर्कर, जो काम के लिए प्रेरणा और सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदर्शित	• **कई तरह के काम करना और कई तरह के समाधान प्रदान करना** • उम्मीदवार परिचित,	• **जवाबदेह/ जिम्मेदार - जूनियर तकनीशियन और तकनीशियन** • अपने काम और ठोस आउटपुट की डिलीवरी

	ज्ञात प्रक्रियाओं की एक सीमा तक सीमित विवेक और निर्णय का उपयोग करना	आवश्यक कौशल	करे	पूर्वानुमानित, नियमित, स्पष्ट विकल्प की स्थिति में जॉब करता है, जो उत्पादन/ सेवाओं में अनेक मानक प्रक्रियाओं या प्रचालनों के प्रयोग पर ध्यान केन्द्रित कर सकता है। समस्याओं और संभावित समाधानों की सीमा को पहचानने/ पूर्वानुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए	और गुणवत्ता की उत्तरदायित्व लेना। किसी विशिष्ट क्षत्र के भीतर नियमित और पूर्वानुमानित कार्यों की योजना बनाने में सहायता कर सकता है
स्तर 2.5 से 3 8वीं के बाद आईटीआई	• नियमित संदर्भों में नियोजित मानक प्रक्रियाओं की एक निर्धारित रेंज के संबंध में ज्ञान होना • समय पर डिलीवरी और गुणवत्ता की बुनियादी अवधारणा को समझता होना • उपलब्ध सूचना की व्याख्या कर सकता है और उसे संप्रेषित कर सकता है। • समस्या की पहचान	• परिचित संदर्भों की सीमा के भीतर प्रक्रियाओं और कार्य विधियों के चयन को पूरा करने की कौशल और तकनीकी क्षमताएं होना • ज्ञान, कौशल और समझ की एक सीमा प्राप्त करने और जहाँ प्रासंगिक हो, लागू करने की क्षमता। • परिचित संदर्भों की सीमा के भीतर समस्या और मुद्दों की पहचान करने	• टीम के सदस्य के रूप में/ टीम के भीतर कार्य करना। व्यक्तिगत प्रेरणा प्रदर्शित करना। कार्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और जुनून होना • लिखित और मौखिक संप्रेषण में कुछ स्पष्टता के ऐसे संप्रेषण में सहायता के लिए भाषा को बुनियादी ज्ञान के साथ अच्छे कौशल। • मध्यवर्ती साक्षरता और संख्यात्मक कौशल • कार्यशाला गणनाओं के लिए कार्यशाला गणना और अंकगणित और बीच गणितीय सिद्धान्तों के	• उम्मीदवार को परिचित, पूर्वानुमानित, नियमित, स्पष्ट विकल्प की स्थिति में जॉब/ कार्य/ काम/ छोटी परियोजना/ असाइनमेंट को पूरा करने में सक्षम होना चाहिए • उत्पादन/ सेवाओं में मानक प्रक्रियाओं या संचालन के अनुप्रयोग की सीमा पर ध्यान केन्द्रित करना • उत्पादन/ सेवाओं में	• अपने काम की डिलीवरी और गुणवत्ता तथा ठोस आउटपुट की उत्तरदायित्व लेता है। • स्तर 2.5 पर उम्मीदवार जूनियर तकनीशियन होता है। • स्तर 3.0 पर उम्मीदवार कुशल कर्मचारी/ तकनीशियन के रूप में कार्य करता है। • हेल्पर या सहायकों से काम लेना और जूनियर

	और समाधान के लिए सूचना एकत्र करने और व्यवस्थित करने का बुनियादी ज्ञान। • बुनियादी वित्तीय की समक्ष और • परिचित समस्याओं के लिए ज्ञात प्रक्रियाओं की एक रेंज पर सीमित विवेक और निर्णय का उपयोग करना।	के लिए आवश्यक कौशल है। • दिए गए संदर्भों में प्रासंगिकत उपकरणों और सामग्रियों की पहचान करने का कौशल • कार्य/ जॉब के संचालन संबंधी ज्ञान और समक्ष रखता हो। • उचित परिशुद्धता के साथ जॉब/ कार्य को पूरा करने का कौशल।	बुनियादी कौशल • स्व-रोजगार और लघु उद्यम कौशल सहित व्यापक रोजगार कौशल होना, जिसमें 1 से अधिक व्यक्तियों के लिए जॉब का सृजन हो सके। • डिजिटल उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं, बुनियादी वित्तीय और डिजिटल साक्षरता, आधार और मोबाइल, डिजिटल भुगतान आदि में कुछ दक्षता के साथ। • सामाजिक, राजनैतिक प्राकृतिक और कार्यगत वातावरण की बुनियादी समझ। • संवैधानिक मूल्यों और नागरिकता समावेश और विविधता की बुनियादी समझ।	समस्याओं और समाधानों की संभावित सीमा की पहचान/ पूर्वानुमान लगाने में सक्षम होना। • कार्य ज्यादातर स्वयं के द्वारा किए जाते हैं और उन्हें बहुत कम अनुदेशों और पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है। • जोखिमों के साथ-साथ सभी सुरक्षा और सामान्य स्वच्छता मानदंडों और पर्यावरणीय पहलुओं को समझता है। • स्वयं सहायता समूह के सदस्यों, लघु उद्यमियों के लिए उत्पादन प्रक्रिया, गुणवत्ता मापदंडों, वितरण और स्थानीय विपणन की पूरी तरह से स्पष्ट समझ।	तकनीशियन के साथ मिलकर काम करना। • किसी विशिष्ट क्षेत्र में नियमित और पूर्वानुमानित कार्यों की योजना बनाने में सहायता में सक्षम होना।
स्तर 3.5 से 4 संक्षिप्त रूपरेखा/	• **विशिष्ट ज्ञान** • विशिष्ट ज्ञान अथवा/	• **विशिष्ट कौशल** • उन्नत ज्ञान के साथ	• **टीम तैयारी, स्व-उद्यमिता तैयारी** • संप्रेषण, नेतृत्व, उद्यमिता और	• **विशिष्ट/ जटिल जॉब/ कार्य**	• **स्वयं और टीम उत्तरदायित्व - सीनियर**

वर्णन	और विविध प्रक्रियात्मक ज्ञान, प्रचालन समझ, समय, और गुणवत्ता प्रबंधन डेटा की व्याख्या और वित्तीय व्यवहार्यता विश्लेषण में कुशल।	व्यावसायिक रूप से कुशल तकनीकों को सफलतापूर्वक लागू करने और सटीकता के साथ काम करने में सक्षम	डिजिटल तथा वित्तीय साक्षरता सहित रोजगार कौशल में दक्षता के साथ अत्यधिक कुशल और बहुमुखी पेशेवर	• न्यूनतम पर्यवेक्षक के साथ विशिष्ट कार्यों को करने, तकनीकी कौशल का प्रयोग करने और स्पष्टता के साथ समस्या के समाधान में कुशल और बहुमुखी पेशेवर	**तकनीशियन या मास्टर तकनीशियन** • व्यक्तिगत जवाबदेह, सामूहिक जिम्मेदार, गैर-मानक और गैर-नियमित कार्यों में सक्षम और आश्वस्त
स्तर 3.5 से 4 10वीं के बाद आईटीआई	• नियमित और गैर-नियमित, दोनों संदर्भों में नियोजित प्रक्रियाओं का विशेष ज्ञान होना • कार्य का विशेष प्रचालनीय ज्ञान और समक्ष होना • कार्य की डिलीवरी के लिए आवश्यक समय की अवधारणा का पूरा ज्ञान हो, और विभिन्न मुद्दों के लिए गुणवत्ता हो • उपलब्ध सूचना को एकत्र करने और उसकी व्याख्या करने, निष्कर्ष निकालने और उसे संप्रेषित करने का	• विशिष्ट व्यावसायिक और तकनीकी कौशल, गतिविधियों/ कार्यों की विस्तृत रेंज में व्यावसायिक ज्ञान और तकनीकी कौशल की स्पष्टता का प्रदर्शन करना • किसी विशिष्ट क्षेत्र/ जॉब भूमिका में तकनीकों/ प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक लागू करने या लागू करने के लिए आवश्यक ज्ञान का उपयोग कर सके • अनेक ज्ञान, कौशलों और समक्ष को जहाँ प्रासंगिक हो, प्राप्त करने और लागू करने की योग्यता होना	• कैरियर नियोजन, डिजिटल कौशल, वित्तीय और कानूनी साक्षरता की समझ सहित व्यापक रोजगार कौशल होना • मौखिक और लिखित दोनों तरह से अच्छा संप्रेषण कौशल होना • पहल और नेतृत्व क्षमता होना • उन्नत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल होना • स्वरोजगार और उद्यमिता कौशल/ उद्यमी मानसिकता के लिए अच्छे कौशल होना, जो संभावित रूप से अधिक लोगों (जैसे 3 से 5) के लिए रोजगार पैदा कर सकता है • सटीक कार्यशाला/ गणितीय गणना और अनुमान लगाने के लिए कौशल और अंकगणित व बीजगणितीय सिद्धान्तों की समझ होना	• उम्मीदवार एक परिचित/ अपरिचित, प्रत्याशित/ अप्रत्याशित, नियमित/ अनियमित अनेक विकल्पों/ चयन की स्थिति में एक विशिष्ट जॉब/ कार्य/ काम करने में समर्थ हो। • उत्पादन/ सेवाओं में मानक और गैर-माक प्रक्रियाओं तथा कुछ हद तक जटिल संचालन के अनुप्रयोग पर ध्यान केन्द्रित करना • उत्पादन/ सेवाओं में गुण व दोषों के साथ समस्या को पहचानने	• स्तर 3.5 पर उम्मीदवार एक सीनियर कुशल तकनीशियन होता है। • अपने काम और आउटपुट प्रदान करने और गुणवत्ता के साथ अपने अधीनस्थों की भी पूरी उत्तरदायित्व लेता है। • समूह कार्यों के लिए जिम्मेदारियां साझा करता है • स्तर 4 पर उम्मीदवार अत्यंत कुशल मास्टर तकनीशियन होता है। • सभी गैर-मानक और गैर-नियमित कार्यों को आत्मविश्वास के साथ

	ज्ञान होना • विभिन्न कार्य/ समाधान विकल्पों के वित्तीय और व्यवहार्यता पहलू की समझ	• प्रासंगिक उपकरणों की स्पष्ट रूप से पहचान कर सके और अधिकांश नियमित/ अनियमित संदर्भों में सामग्रियों का उन्नत ज्ञान हो। • कार्य/ जॉब के लिए आवश्यक प्रचालनीय कौशल/ अपेक्षित सटीकता और अनुमानित समय-सीमा के भीतर जॉब/कार्य को पूरा करने का कौशल। • परिचित/ अपरिचित संदर्भों की सीमा में प्रक्रियाओं और कार्यविधियों का चयन करने की क्षमता होना	• अधिकांश बुनियादी डिजिटल उपकरणों का आसान उपयोग कर सके, वित्तीय और डिजिटल ज्ञान, आधार तथा मोबाइल की स्पष्ट समझ हो, डिजिटल भुगतान आदि का दक्षता के साथ उपयोग करना • संवैधानिक मूल्यों और नागरिकता, समावेश और विविधता की अच्छी समझ। • सामाजिक, राजनैतिक और कार्यगत वातावरण की बहुत अच्छी समझ होना	और व्यापक संभव समाधान करने में सक्षम होना • जटिल कार्यों को बिना किसी अनुदेश और पर्यवेक्षण के स्वयं करना। • संबंधित व्यावसायिक सुरक्षा और सामान्य स्वच्छता मानदंडों तथा पर्यावरणीय पहलुओं को लागू करना • लघु उद्यमियों के लिए विकास, उत्पादन, गुणवत्ता मानदंडों तथा वितरण और विपणन प्रक्रियाओं की पूरी तरह से स्पष्ट समझ होना • परिचित संदर्भ में स्पष्ट विकल्पों को शामिल करने वाली गतिविधियों की स्पष्टता के साथ अच्छी तरह से विकसित अनेक तकनीकी कौशल लागू करना	पूरा कर सकता है

				• इस संबंध में ज्ञान है और उन प्रक्रियाओं को लगातार सुधारने में सक्षम है, जिनका उपयोग व्यक्ति संबंधित जॉब भूमिकाओं के लिए करता है • संबंधित जॉब भूमिकाओं से संबद्ध जोखिमों की जानकारी रखना • परिचित समस्याओं के लिए ज्ञात अनेक प्रक्रियाओं पर विवेक और निर्णय का उपयोग करना	
4.5 से 5 संक्षिप्त रूपरेखा/ विवरण	• **बहु विषयक और विशिष्ट ज्ञान** • विशिष्ट क्षेत्रों में समस्याओं को हल करने के लिए व्यापक और गहन ज्ञान तथा कौशल रखना	• **विशिष्ट डोमेन कौशलों के साथ विविध कौशल** • जटिल कार्यों को आसानी से करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उत्कृष्ट संज्ञानात्मक कौशलों और तकनीकी कौशलों, परियोजना प्रबंधन, विशेषज्ञता और सूचित निर्णय लेने के लिए डेटा	• **उद्यमी मानसिकता, स्व-प्रबंधन** • उत्कृष्ट संप्रेषण, डिजिटल और वित्तीय साक्षरता, नैतिक मूल्यों, स्व-प्रबंधन के साथ एक बहुमुखी पेशेवर और उद्यमी मानसिकता हो सकती है।	• **फैसला लेना/ निर्णय करना - विशिष्ट** • तकनीकी विशेषज्ञता, जटिल समस्याओं को सुलझाने और आउटपुट में सुधार लाने में अनुकूलता के साथ एक कुशल पेशेवर होना	• **टीम लीडर - जूनियर तकनीकी पर्यवेक्षक, तकनीकी पर्यवेक्षक या जूनियर/ उप प्रबंधक** • अत्यधिक कुशल तकनीकी पर्यवेक्षक, जो ठोस परिणाम हासिल करने, परिवर्तन का प्रबंधन करने, टीमों का निर्माण करने और

		विश्लेषण में निपुणता होना			कार्यबल का मार्गदर्शन करने के लिए जिम्मेवार होना
स्तर 4.5 से 5 डिप्लोमा/ स्नातक	• प्रौद्योगिकी/ कौशल/ जॉब भूमिका के चुने गए क्षेत्रों में, व्यापक बहुविषयक संदर्भों में ज्ञान रखना • प्रौद्योगिकी/ कौशल/ जॉब भूमिका और इसके निहित सिद्धान्तों के विशेष क्षेत्र का गहन ज्ञान और समझ होना • बुनियादी डिजाइन, प्रोटोटाइप, परीक्षण जैसे कार्यों को पूरा करने के लिए विशेष ज्ञान और अनेक संज्ञानात्मक व व्यावहारिक कौशलों का अर्जन करना ताकि उपयुक्त सूचना, विधियों, उपकरणों और सामग्रियों का चयन करके किसी समस्या को हल किया	• चुने हुए प्रौद्योगिकी/ कौशल/ जॉब भूमिका के क्षेत्रों में संबंधित कठिन कार्यों को निष्पादित करने और पूरा करने के लिए आवश्यक संज्ञानात्मक विशेषज्ञता • व्यावसायिक और तकनीकी कौशल का प्रदर्शन, नियमित या गैर-निर्मित कार्यों में तकनीकों को सफलतापूर्वक लागू करना • विविध व्यावसायिक और तकनीकी कौशल रखना; विविध गतिविधियों और कार्यों में ज्ञान और अभ्यास का स्पष्ट प्रदर्शन करना • परियोजना प्रबंधन कौशल • प्रासंगिक उपकरणों को स्पष्ट रूप से पहचानने या कभी-कभी उपलब्ध उपकरणों और तकनीकों	• नेतृत्व के विजन को शॉप फ्लोर लेवल के कार्यबल तक ले जाने के लिए उत्कृष्ट मौखिक और लिखित संप्रेषण तथा सहयोग रखने का कौशल हो • उन्हें प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए बहुत अच्छी डिजिटल, वित्तीय और कानूनी ज्ञान रखना। • संवैधानिक, मानवीय, नैतिक और नैतिक मूल्यों की अच्छी समझ होना • संगठन और समय प्रबंधन • जटिल गणनाओं में बहुत अच्छा और लागू समाधानों के लिए गणितीय और वित्तीय विश्लेषण कौशल होना • सामाजिक, राजनैतिक और कार्यगत वातावरण की अच्छी तरह से व्यवहारिक समझ रखना • कार्य संदर्भों के भीतर आत्म प्रबंधन का अभ्यास करना • भावात्मक बुद्धिमत्ता • स्टार्ट-अप/ छोटे व्यवसाय बनाने और उसके शुरुआत से लेकर अंत	• मानक और गैर-मानक प्रथाओं को शामिल करने वाली गतिविधियों की विस्तृत रेंज में विशिष्ट व्यावसायिक और तकनीकी कौशल की व्यापक रेंज का प्रदर्शन करना • बुनियादी डिजाइन, प्रोटोटाइप, परीक्षण, जैसे कार्यों को पूरा करने के लिए अर्जित विशिष्ट ज्ञान और विविध संज्ञानात्मक व व्यावहारिक कौशल को लागू करना ताकि उचित सूचना, विधियों का चयन करके समस्याओं को हल किया जा सके। • सीनियर प्रबंधन और कार्यबल/ शॉप फ्लोर के बीच एक परत के रूप में कार्य करने के लिए	• व्यक्तिगत और/अथवा समूह के ठोस परिणामों को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी होना • ग्राउंड/ शॉप फ्लोर स्तर पर परिवर्तन की अपेक्षाओं और परिवर्तन की अपेक्षाओं और परिवर्तन के प्रबंधन को संभालना/ अनुकूलन करना/ समायोजित करना • टीम निर्माण • निर्धारित गतिविधियों के लिए व्यापक मानदंडों के भीतर प्रक्रियाओं और कार्यविधियों का प्रबंधन करना • दूसरों के नियमित काम की देखरेख करना, काम या अध्ययन गतिविधियों के मूल्यांकन और

	जा सके	में सुधार करने का कौशल और कठिन परिस्थितियों तथा विभिन्न संदर्भों में सामग्रियों का अग्रिम ज्ञान • सूचित निर्णय लेने के लिए डेटा एकत्र करने, सूचना को व्यवस्थित करने, विश्लेषण करने और परिणामों को संप्रेषित करने में बहुत अच्छा होना	तक प्रबंधन के लिए एक उद्यमशीलता की मानसिकता होना	संप्रेषण और सहयोग होना। • जटिल जानकारी को ठीक से सुनने और समझने तथा स्पष्ट व संक्षिप्त तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम होना चाहिए। • चुनिन्दा शिक्षण के क्षेत्रों से संबद्ध कई अप्रत्याशित समस्याओं के समाधान का निर्धारण करने के लिए सूचना के विश्लेषण और मूल्यांकन के आधार निश्चित करना और निर्णय लेना • आउटपुट की प्रकृति और गुणवत्ता के लिए उत्तरदायित्व लेना • आउटपुट की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रक्रियाओं पर काम करने में सक्षम। • विचारों विश्लेषण और संश्लेषण करने में सक्षम	सुधार के लिए आवश्यक उत्तरदायित्व लेना • स्तर 4.5 पर उम्मीदवार अत्यधिक कुशल होता है और जूनियर तकनीकी पर्यवेक्षक के रूप में काम करना • निरंतर कर्मचारियों को प्रेरित करना, मार्गदर्शन करना, सलाह और प्रशिक्षण देना • स्तर 5.0 पर उम्मीदवार एक तकनीकी पर्यवेक्षक या जूनियर/ उप प्रबंधक होता है। • एक स्वतंत्र कार्य एकक/ शॉप फ्लोर/ अनुभाग/व्यावसायिक गतिविधियाँ/ असाइनमेंट के प्रबंधन की उत्तरदायित्व होना

				• परिचित और अपरिचित समस्याओं तथा मुद्दों के लिए ज्ञात और अभिनव विविध प्रतिक्रियाओं पर विवेक और निर्णय का उपयोग करना	
5.5 से 6 संक्षिप्त रूपरेखा विवरण	• **उन्नत बहुविषयक और विशिष्ट ज्ञान** • संबंधित क्षेत्रों में विशिष्ट विशेषज्ञता के साथ तकनीक सहित अंतरविषयक ज्ञान में कुछ उभरते रुझानों, परिवर्तन, प्रबंधन और समस्या समाधान में प्रवीण होना	• **उन्नत तकनीकी और प्रबंधकीय कौशल** • सामाजिक बुद्धिमत्ता के साथ उन्नत संज्ञानात्मक क्षमताओं, परियोजना प्रबंधन, तकनीकी-वाणिज्यिक पहलुओं और भविष्य की अनुकूलनशीलता में कुशल होना	• **नेतृत्व, प्रभावी संसाधन प्रबंधन** • असाधारण संगठनात्मक संप्रेषण और सलाह के कौशल के साथ गतिशील नेतृत्व, इष्टतम समूह प्रदर्शन के लिए नवाचार को आगे बढ़ाने में सक्षम होना	• **जटिल समस्याओं में निर्णय क्षमता** • उन्नत तकनीकी कौशल को लागू करना, महत्वपूर्ण मापदंडों की निगरानी करना, प्रक्रियाओं का मूल्यांकन और सुधार करना और जटिल समस्याओं में साक्ष्य आधारित निर्णय के साथ जटिल समस्याओं को हल करना	• **वर्टिकल/ बिजनेस यूनिट प्रबंधन - प्रबंधक या वरिष्ठ प्रबंधक** • जवाबदेह नेतृत्व स्वतंत्र यूनिटों/ परियोजनाओं का प्रभावी प्रबंधन करना, प्रतिनिधि नियुक्त करना, पर्यवेक्षण करना और पूर्ण उत्तरदायित्व व टीम निर्माण के साथ परिवर्तन लाना
स्तर 5.5 से 6 स्नातक/ स्नातकोत्तर	• एक या अधिक संबंधित क्षेत्रों में गहन ज्ञान के साथ प्रौद्योगिकी कौशल/ जॉब भूमिका के बहु विषयक/ अंतः विषेयक/ अंतर-	• प्रौद्योगिकी/ कौशल/ जॉब भूमिका के चुनिन्दा क्षेत्रों से संबंधित जटिल कार्यों को निष्पादित करने और पूरा करने के लिए आवश्यक विविध उन्नत संज्ञानात्मक और	• उत्कृष्ट नेतृत्व, संप्रेषण, सहयोग और संगठनात्मक कौशल • तकनीकी कार्यबल के प्रबंधन के लिए प्रशासनिक दृष्टिकोण और नेतृत्व गुण रखना • प्रभावी सलाह, लोगों का प्रबंधन, सुनना, प्रतिनिधि कौशल	• जटिल परिवर्तनशील वातावरण और संदर्भों से जुड़े उन्नत सैद्धान्तिक ज्ञान और विशेष पेशेवर तथा तकनीकी कौशल को लागू करना	• स्तर 5.5 पर उम्मीदवार एक प्रबंधक/ तकनीकी प्रबंधक/ उत्पाद प्रबंधक या समकक्ष होता है • स्तर 6.0 पर उम्मीदवार सीनियर

	विषयक क्षेत्रों के बारे में उन्नत ज्ञान होना • प्रौद्योगिकी/ कौशल/ जॉब भूमिका के चुनिन्दा क्षेत्रों में उभरते और भावी विकास तथा मुद्दों के बारे में जागरुकता और ज्ञान होना • परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रियाओं और प्रणालियों के बारे में उन्नत समझ और ज्ञान होना • शिक्षण के चुनिन्दा क्षेत्रों और भावी सुधार से संबंधित समस्याओं और मुद्दों की पहचान करने के लिए विविध विस्तृत स्रोतों पर उन्नत ज्ञान और कौशल की प्राप्ति होना	तकनीकी कौशल रखना • अनिश्चित वातावरण में जटिल समस्याओं और स्थितियों के लिए अभिनव और व्यवहार्य समाधान करने के लिए आवश्यक विविध संज्ञानात्मक और व्यावहारिक कौशल • परियोजना प्रबंधन कौशल • प्रौद्योगिकी/ संबद्ध कौशल या जॉब भूमिका के तकनीकी वाणिज्यिक पहलू की समझ और अनुप्रयोग करना • भावी कार्य और नवाचारी तथा तकनीकी विकास की गति की मांगों के अनुकूल होने का कौशल होना • सामाजिक बुद्धिमत्ता होना	• संगठन और समय प्रबंधन • रचनात्मक सोच और नवाचार • अच्छा तार्किक और गणितीय विश्लेषण करना सिमुलेशन मॉडलिंग कौशल • सामाजिक राजनीतिक, प्रकृतिक और कार्यगत वातावरण की पूरी समझ रखना • सूचना को व्यवस्थित करना, उसका विश्लेषण करना, उसकी व्याख्या करना और उस पर कार्य करना तथा निर्णय लेने के लिए उसके परिणामों को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करना और प्रस्तुत करना/ उपयोग करना। • अवलोकन, जांच और प्रासंगिक/ उचित प्रश्न पूछने की क्षमता की गहन समझ रखना • जटिल तकनीकी या व्यावसायिक गतिविधियों या परियोजनाओं का प्रबंधन करना, जिसके लिए समूह/ टीम के सदस्य के रूप में आप कार्य के आउटपुट के साथ-साथ समूह के आउटपुट के लिए प्रभावी, भावी सोच, योजनाबद्ध और पूर्ण व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की आवश्यकता होती है	• महत्वपूर्ण मापदंडों और केपीआई अथवा अन्य की प्रभावी समझ, निगरानी और पर्यवेक्षण • प्रक्रियाओं, कार्यविधियों और कार्य या अध्ययन गतिविधियों का मूल्यांकन और सुधार • उभरते विकास और महत्वपूर्ण मुद्दों के प्रभावों तथा परिणामों की जाँच तथा मूल्यांकन करना। • साक्ष्यों और जोखिमों की आलोचनात्मक समीक्षा और समेकन करके विभिन्न स्थितियों में निर्णय लेना • ज्ञान और कौशल को उन्नत बनाने के लिए निरंतर और नियमित रूप से स्व-गति से तथा स्व-निर्देशित रूप से शिक्षण का प्रयास करना, जो जटिल कार्यों को पूरा करने या शिक्षा	प्रबंधक/ सीनियर तकनीकी प्रबंधक/ सीनियर उत्पाद प्रबंधक या समकक्ष होता है • एक बड़ी स्वतंत्र इकाई/ व्यावसायिक गतिविधियाँ/ परियोजना के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार • व्यापक मापदंडों के भीतर नियोजन, संसाधन, प्रक्रियाएं, गतिविधियों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार और व्यक्तिगत तथा समूह परियोजनाओं को निर्धारित करने, प्राप्त करने और मूल्यांकन करने के लिए पूरी तरह से जवाबदेह • प्रभावी समर्पण और निगरानी • अप्रत्याशित कार्य का पूर्ण प्रबंधन और पर्यवेक्षण करना • दूसरों के काम के लिए जिम्मेदार होना।

			• संगठनात्मक उद्देश्यों और परिणामों की प्रगति के लिए लोगों और संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए नेतृत्व कौशल लागू करना। भावनात्मक बुद्धिमत्ता होना	और अनुसंधान को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। • शिक्षण के चुनिन्दा क्षेत्रों से संबंधित समस्याओं और मुद्दों की पहचान करने और भविष्य में सुधार करने के तरीकों की पहचान करने में सक्षम होना • प्रौद्योगिकी/ कौशल/ जॉब भूमिका के चुनिन्दा क्षेत्रों में जटिल वास्तविक जीवन की समस्याओं के समाधान पर पहुंचने के लिए विभिन्न स्रोतों से साक्ष्य के मूल्यांकन के आधार पर निर्णय लेना	• परिवर्तन एजेंट • टीम निर्माण • एक टीम सदस्य/ नेता के रूप में किए गए कार्यों और अपने काम में आउटपुट/ परिणामों के साथ-साथ समूहों के लिए पूरी व्यक्तिगत उत्तरदायित्व और जवाबदेही का प्रयोग करना
स्तर 6.5 से 7 संक्षिप्त रूपरेखा/ विवरण	• **उभरते विकास की महत्वपूर्ण समझ के साथ उन्नत ज्ञान** • व्यापक ऊन, महत्वपूर्ण सोच और निरंतर आत्मविश्वास के लिए प्रयासरत रहते हुए विशेष क्षेत्रों	• **अत्यधिक विशिष्ट कौशल, अंतर विषयक कौशल, नेतृत्व कौशल** • जटिल समस्या, समाधान, परिवर्तन प्रबंधन, नेतृत्व और परियोजना प्रबंधन में विशेषज्ञता के साथ	• **क्रॉस-सांस्कृतिक क्षमता, परिवर्तनकारी नेतृत्व** • विविध सांस्कृतिक क्षमता, रणनीतिक विचार, समय प्रबंधन और उत्कृष्टता के लिए नेतृत्व क्षमताओं के साथ अत्यधिक कुशल व्यावसायिक होना	• **अर्जित उन्नत तकनीकी कौशल, तकनीकी मूल्यांकन और समीक्षा को लागू करना** • व्यावहारिक समस्याओं का कुशलतापूर्वक विश्लेषण और रचनात्मक समाधान	• **व्यवसाय प्रबंधन (जैसे सीईओ/ सीएक्सओ आदि)** • संगठनात्मक विकास, जटिल समस्या समाधान, कर्मचारियों के विकास और डेटा संचालन के निर्णयों के

	में प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के साथ एक सक्षम विशेषज्ञ होना	अत्यधिक कुशल और अभिनव व्यावसायिक होना		करना, सांख्यिकीय उपकरणों का उपयोग करना और लक्ष्य प्राप्त के लिए निर्णय लेने में नेतृत्व और तकनीकी मास्टरी दर्शाना	लिए उत्तरदायी दूरदर्शी नेतृत्व होना
स्तर 6.5 से 7	• किसी विशेष क्षेत्र के बारे में प्रक्रियाओं, विधियों और तकनीकों सहित उन्नत ज्ञान रखना • शिक्षण के एक या अधिक क्षेत्रों से संबंधित उभरते विकास की आलोचनात्मक समझ रखना। • तकनीकी प्रगति और उपयोग को समझना और इसे एक या अधिक विशिष्ट क्षेत्रों में लागू करना। • शिक्षण, अनुसंधान और विकास से संबंधित जटिल, विशेष कार्यों को करने के लिए आवश्यक	• मौलिक विचारों को उत्पन्न करने, अवधारणा बनाने, डिजाइन करने और अभिनव समाधानों को लागू करने के लिए आवश्यक संज्ञानात्मक और तकनीकी कौशल होना • मूल विचारों के सृजन के लिए अपेक्षित संज्ञानात्मक और तकनीकी कौशल होना • परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया की अगुवाई करने का कौशल होना • परियोजना प्रबंधन कौशल • समस्या को अभिनव तरीके से हल करने के लिए कौशल के अंतः विषयक अनुप्रयोग के लिए आवश्यक कौशल	• सामाजिक बुद्धिमत्ता, संज्ञानात्मक भार प्रबंधन, क्रॉस-सांस्कृतिक क्षमता सहित सॉफ्ट - कौशल और दक्षताओं का उच्चतम स्तर होना • रचनात्मक और प्रेरक संप्रेषण, आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशल सहित विशिष्ट उच्च क्रम कौशल होना। • भावनात्मक बुद्धिमत्ता, विश्लेषणात्मक कठोरता, अच्छा संप्रेषण और नवाचार कौशल; रणनीतिक और भविष्योन्मुखी आदर्श और नवाचार • संगठन और समय प्रबंधन • सृजनात्मक सोच और नवाचार • कार्य के भविष्य के लिए अनुकूलन और तकनीकी विकास तथा नवाचारों की तेज गति की मांगों का उत्तर देना जो काम और व्यावसायिक प्रथाओं से संबंधित कौशल आवश्यकताओं में बदलाव	• व्यावहारिक समस्याओं के लिए रचनात्मक और व्यवहार्य समाधान तैयार करने के लिए व्यापक, संज्ञानात्मक, सैद्धान्तिक ज्ञान और कौशल का प्रदर्शन करना • एकत्र किए गए डेटा के विश्लेषण के लिए उपयुक्त सांख्यिकीय और अन्य विश्लेषणात्मक उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करने की क्षमता प्रदर्शित करना • विषय की आलोचनात्मक समझ, मास्टरी और नवीनता का प्रदर्शन, पर्याप्त शोध और शोध प्रदर्शन	• स्तर 6.5 पर उम्मीदवार एक निदेशक/ सीएक्सओ/ उप सीईओ या समकक्ष होता है। • स्तर 7 पर उम्मीदवार निदेशक/ सीईओ या समकक्ष होता है, जो किसी दिए गए क्षेत्र/ पर्यावरण/ बाजार में दृष्टि और रणनीतिक सोच के लिए जिम्मेदार होता है। • स्वयं और अन्य स्टॉप सदस्यों के विकास के लिए जिम्मेदार होना • संगठनात्मक उन्नति और विकास के लिए जिम्मेदार होना • अप्रत्याशित कार्य/ अध्ययन स्थितियों से

	ज्ञान। • कौशल में उन्नति के लिए स्व-अध्ययन करना, बौद्धिक स्वतंत्रता, विश्लेषणात्मक कठोरता और अच्छे संप्रेषण का प्रदर्शन करना।	होना • नेतृत्व और प्रभावी निर्णय लेने का कौशल • जटिल और अप्रत्याशित स्थितियों और समस्याओं के लिए अभिनव साक्ष्य आधारित व्यावहारिक समाधान विकसित करने में सक्षम होना • सामाजिक बुद्धिमत्ता	लाते हैं • दिए गए अधिकारों, नवाचार, स्वायतता, व्यावसायिक अखंडता और नए विचार, व्यवसाय मॉडल और अनुसंधान व विकास सहित काम या अध्ययन संदर्भों में सबसे आगे प्रक्रियाओं के विकास के लिए निरंतर प्रतिबद्धता का प्रयोग करना। • कार्यस्थल/व्यक्तिगत जीवन में पूर्ण संवैधानिक, मानवतावादी, नैतिक और नैतिक मूल्यों को समझना और उनकी सराहना करना, वैश्विक और स्थानीय नागरिकता, विकास के लिए व्यक्तिगत और संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए नेतृत्व कौशल • उत्कृष्टता का लक्ष्य रखना	(जहाँ लागू हो) को पूरा करना • साक्ष्य का मूल्यांकन करने का कौशल, दूसरों के तर्कों में तार्किक खामियों और जोखिमों की पहचान करना; विभिन्न स्रोतों से डेटा का विश्लेषण और संश्लेषण करना; निष्कर्ष निकालना और उन्हें साक्ष्यों और उदाहरणों के साथ सहायता देना, जबकि विरोधी दृष्टिकोणों को संबोधित करना/ समायोजित करना; निर्णय लेना और उचित निर्णय करना • निर्णय लेने और योजना बनाने के लिए सूचना को संस्थापित करना • तकनीकी मूल्यांकन करना और समीक्षा करना तथा सुधार की कार्रवाई करना	जुड़ी जटिल तकनीकी गतिविधियों/ कार्यों में निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार, जटिल और अप्रत्याशित समस्याओं और स्थितियों के लिए मूल प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करना • अपने काम के आउटपुट के साथ-साथ सतमूह/ टीम आउटपुट के लिए व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का प्रयोग करना। • जटिल स्थितियों/ कार्यगत वातावरण में डेटा आधारित निर्णय लेना • वित्तीय और मानव संसाधन (एचआर) के संसाधनों का मूल्यांकन और समीक्षा करना • संकट प्रबंधक • कार्य/ व्यवसाय या व्यावसायिक अभ्यास की विशिष्ट समस्याओं का समाधान तलाशने

				• किसी समस्या को हल करने के लिए किसी विशेष क्षेत्र के अर्जित उन्नत तकनीकी ज्ञान को लागू करना। • संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लोगों और संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए ज्ञान और नेतृत्व कौशल को लागू करना	के लिए उत्तरदायित्व के प्रयोग की आवश्यकता वाले कार्यों में निर्णय लेना
स्तर 8 संक्षिप्त रूपरेखा/ विवरण	• **ज्ञान में निपुणता/ नवाचार प्रेरित/ व्यापक ज्ञान** • जटिल समस्याओं के लिए साक्ष्य आधारित समाधान उत्पन्न करने के लिए महत्वपूर्ण नवाचार और विशेष समस्या के समाधान कौशल में मास्टरी होना	• **सबसे उन्नत तकनीकी और प्रबंधकीय कौशल** • बेहतरीन परियोजना प्रबंधन, संज्ञानात्मक तकनीकी, अंतः विषयक और नेतृत्व कौशल के साथ अत्यधिक विशिष्ट व्यावसायिक क्रॉस सेक्टरल मानसिकता के साथ प्रथाओं को पुनः परिभाषित करना	• **महत्वपूर्ण अधिकार, परिवर्तनकारी नेतृत्व, सामाजिक बुद्धिमत्ता** • वैश्विक नागरिकता और उत्कृष्टता के मूल्यों के साथ अत्यधिक विशिष्ट, रचनात्मक और परिवर्तनकारी कौशल रखना	• **बड़ी परिवर्तनकारी परियोजनाओं का नेतृत्व करना** • बड़े पैमाने पर परिवर्तन को आगे बढ़ाने और संसाधनों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने के लिए अनुकूल सोच, विश्लेषणात्मक कौशल और नई मानसिकता वाला उच्च प्रदर्शन नेतृत्व होना	• **बिजनेस विजन अध्यक्ष/ बोर्ड सदस्य/ सीएमडी** • रणनीतिक विचारक और नवप्रवर्तक संगठनात्मक उन्नति और विकास के लिए जवाबदेह, डेटा संचालित निर्णय लेना
8 **उच्चतम स्तर के कौशल**	• विषय/ क्षेत्रों की आलोचनात्मक और अभिनव समझ के साथ-साथ मास्टरी	• दिए गए विशिष्टता के विषय के विषय/ क्षेत्र में अप्रत्याशित और जटिल कार्यों को निष्पादित	• सामाजिक बुद्धिमत्ता, संज्ञानात्मक भार प्रबंधन, आभासी सहयोग, क्रॉस-सांस्कृतिक क्षमता आदि सहित सॉफ्ट कौशल और दक्षताओं का	• व्यावसायिक कौशल और कामकाज में नेतृत्व की भूमिका के लिए व्यावसायिक	• स्तर 8 पर उम्मीदवार बोर्ड सदस्य/ सीएमडी या अध्यक्ष होता है। • किसी दिए गए क्षेत्र/

	• समस्या के समाधान के लिए अत्यधिक विशिष्ट ज्ञान होना ताकि दिए गए क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के माध्यम से ज्ञान के निर्माण में मौलिक योगदान दे सकें • ज्ञान, अनुसंधान, विश्लेषणात्मक और रचनात्मक आवश्यकताओं के चुनिन्दा विषयों/ क्षेत्रों पर व्यापक और गहन विशेषज्ञता होना • किए गए शोध अध्ययनों के परिणामों/ निष्कर्षों से संबंधित व्यावसायिक ज्ञान और सूचना को अच्छी तरह से संरचित और तार्किक तरीके से प्रस्तुत करना • शिक्षण में उत्सुक है और जटिल	करने और उन्हें पूरा करने के लिए आवश्यक सबसे उन्नत और अत्यधिक विशिष्ट व्यावसायिक और तकनीकी कौशल है। उच्चतम परियोजना प्रबंधन कौशल हेाना • चुनिन्दा क्षेत्र में मौलिक और/या अनुपयुक्त अनुसंधान के अनुप्रयोग के साथ या उसके बिना मूल विचारों को उत्पन्न करने, अवधारणा बनाने, डिजाइन करने और अभिनव समाधानों को लागू करने के लिए आवश्यक संज्ञानात्मक और तकनीकी कौशल • किसी समस्या को अभिनव रूप से हल करने के लिए कौशल के अंतः विषय अनुप्रयोग के लिए आवश्यक विशेष कौशल • प्रभावी विकास के लिए संगठनात्मक लक्ष्यों को	उच्चतम स्तर होना • रचनात्मक और प्रेरक संप्रेषण, आलोचनात्मक सोच और समस्या के समाधान कौशल सहित अत्यधिक विशिष्ट उच्च क्रम कौशल/ भावनात्मक बुद्धिमत्ता। • रचनात्मक सोच और नवाचार। • भावी कार्य के लिए अनुकूल होना और तकनीकी विकास तथा नवाचारों की तेज गति की मांगों का उत्तर देना, जो काम और व्यवसायिक प्रथाओं से संबंधित कौशल और अपेक्षाओं में बदलाव लाना • नए विचारों, व्यवसाय मॉडल और अनुसंधान व विकास सहित प्रक्रियाओं के विकास के लिए पर्याप्त अधिकार, नवाचार, स्वायतता, पेशेवर अखंडता और निरंतर प्रतिबद्धता का प्रयोग करना। • कार्यस्थल/ व्यक्तिगत जीवन, वैश्विक और स्थानीय नागरिकता में पूर्ण संवैधानिक, मानवीयता, नैतिक और नैतिक मूल्यों को समझना और उनकी सराहना करना, पर्यावरण संरक्षण और समाज की	दक्षताओं का उच्चतम स्तर रखना, जिसमें नए और अनुकूल तथा अनुभव सोच, ट्रांस डिसिप्लीनरी, डिजाइन मानसिकता, गुणवत्ता परक अवधारणा, गणनात्मक सोच, नई मीडिया साक्षरता, स्थिरता आदि शामिल है • सूचना और अनुभवजन्य साक्ष्य के विश्लेषण और मूल्यांकन के आधार पर वास्तविक जीवन की समस्याओं सहित समस्याओं पर निर्णय लेने और निर्णय में सक्षम होना • मास्टर इंटीग्रेटर और डिसरप्टिव विचारक • साक्ष्य की विश्वसनीयता और प्रासंगिकता का मूल्यांकन करने के लिए उच्च क्रम के	पर्यावरण/ बाजार में समग्र रणनीति/ रणनीतिक सोच और कल्पना के लिए जिम्मेदार • विश्वसनीय इनोवेटर और विचारक लीडर • अपने काम के सभी आउटपुट/ परिणामों और विभिन्न विभागों (प्रबंधकीय अनुपात और भूमिकाएं) समूह प्रयासों आदि सहित अन्य के आउटपुट/ परिणामों के लिए पूर्ण व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का प्रयोग करना • संगठन के हॉरिजोंटल और वर्टिकल/ हॉरिजोंटल/ बहु आयामी विकास और स्वयं तथा संगठन के लोगों के विकास के लिए जिम्मेदार होना • काम/ अध्ययन की अप्रत्याशित जटिल

	समस्याओं तथा अप्रत्याशित स्थितियों के लिए साक्ष्य आधारित समाधान उत्पन्न करने के लिए अर्जित अत्यधिक विशिष्ट ज्ञान को लागू करना	प्राप्त करने के लिए लोगों को प्रेरित करने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए परिवर्तनकारी नेतृत्व कौशल • मानसिकता को डिजाइन करना, पुनः परिभाषित करना • क्रॉस-सांस्कृतिक क्षमता	वैश्विक भलाई के लिए काम करना। • प्रभावी विकास के लिए संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लोगों को प्रेरित करने और मार्गदर्शन करने के लिए परिवर्तनकारी नेतृत्व कौशल को लागू करना। उत्कृष्टता की लक्ष्य रखना	कौशल, दूसरों के तर्कों में खामियों की पहचान करना, विभिन्न स्रोतों से डेटा का विश्लेषण और संश्लेषण करना, वैध निष्कर्ष निकालना और उन्हें साक्ष्यों और उदाहरणों के साथ समर्थन देना और विरोधी दृष्टिकोणों को संबोधित करना • संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने और प्रभावी विकास के लिए रणनीति बनाने के लिए लोगों और संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए ज्ञान और नेतृत्व कौशल को लागू करना। • बड़ी परिवर्तन परियोजनाओं का नेतृत्व करने में सक्षम	स्थितियों/ कार्यगत वातावरण में डेटा आधारित निर्णय। • वित्तीय और मानव संसाधनों तथा प्रक्रियाओं के सुधार के साथ समग्र मूल्यांकन और समीक्षा को संरक्षित करना • कार्यों की व्यापक रेंज में विस्तृत महत्वपूर्ण निर्णय लेना और निर्णय क्षमता होना

अनुबंध-II

राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) संरेखित अर्हताओं के लिए न्यूनतम प्रवेश मानदंड और नोशनल घंटों की सीमा आदि के लिए मानक मानदंड

एनएसक्यूएफ मानदंडों के मानकीकरण के लिए पालन किए जाने वाले बुनियादी सिद्धान्त

i. दीर्घकालिक प्रशिक्षण (एलटीटी) ऐसा कोई कार्यक्रम है, जो ओजेटी घटक को छोड़कर, शिक्षण के 1200 घंटे अथवा 1 वर्ष के बराबर अथवा उससे अधिक है। कोई भी पाठ्यक्रम/ अर्हता, जो ओजेटी घटक को छोड़कर, शिक्षण के 1200 घंटों से कम अथवा 1 वर्ष से कम अवधि की है, उसे अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) कार्यक्रम कहा जाएगा।

ii. दीर्घकालिक प्रशिक्षण (एलटीटी) के मामले में;

(क) एनटीसी का तात्पर्य नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है और यह एक या दो वर्ष की अवधि का प्रमाणपत्र कार्यक्रम है। यह प्रमाणपत्र कार्यक्रम प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) द्वारा प्रस्तावित किया जाता है और इसे 8वीं कक्षा, 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा के बाद प्रस्तावित किया जाता है। एनटीएस ऐसे छात्रों को प्रदान किया जाता है जो शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के लिए आल इंडिया ट्रेड टेस्ट (एआईटीटी) उत्तीर्ण करते हैं।

(ख) एनएसी का तात्पर्य राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र (नेशनल अप्रेंटिशिप सर्टिफिकेट) है और प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष से लेकर 2 वर्ष तक की होती है। एनएसी कार्यक्रम करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 14 वर्ष है और अर्हताएं 8वीं कक्षा पास से लेकर 12वीं कक्षा पास (10+2) तक भिन्न होती है। एनएसी ऐसे छात्रों को प्रदान किया जाता है, जो आल इंडिया ट्रेड टेस्ट (एआईटीटी) उत्तीर्ण करते हैं।

(ग) शिल्पकार प्रशिक्षक प्रशिक्षण योजना (सीआईटीएस) प्रशिक्षक प्रशिक्षुओं के लिए डीजीटी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला एक कार्यक्रम है। सीटीएस कार्यक्रम की अवधि 4 वर्ष की है और सीआईटीएस के लिए पात्रता एनटीसी/ एनएसी/ डिप्लोमा/ स्नातक अर्हताएं हैं।

क. प्रवेश अपेक्षाओं के लिए बुनियादी सिद्धांत

iii. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के तहत नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट (एनटीसी), राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र (एनएसी) और शिल्प प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (सीआईटीएस) अर्थात् एनटीसी/ एनएसी/ सीआईटीएस, दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है और एक से तीन वर्ष तक के हो सकते हैं। तदनुसार, जहाँ भी एनटीसी/ एनएसी/ सीआईटीएस या इसके संयोजन का उल्लेख किया गया है, इसमें समान एनएसक्यूएफ/

एनसीआरएफ स्तर और अवधि के समकक्ष सरकार द्वारा अनुमोदित वीईटी और कौशल कार्यक्रम भी शामिल होंगे।

iv. किसी विशेष एनएसक्यूएफ/ एनसीआरएफ स्तर पर एसटीटी कार्यक्रम करने के लिए उम्मीदवार को कम से कम शिक्षा/ वीईटी और कौशल शिक्षण के संबंधित वर्षों को पहले ही पूरा कर लेना चाहिए। उदाहरण के लिए, स्तर 3.5 का एसटीटी कार्यक्रम करने के लिए, शिक्षण के न्यूनतम वर्ष के रूप में 11 वर्ष होने चाहिए, जिसमें शैक्षणिक शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा और कौशल के साथ-साथ अनुभवजन्य शिक्षा, यदि कोई हो, शामिल है।

v. उपरोक्त बिन्दु (iv) का सिद्धांत उन छात्रों/ शिक्षुओं पर लागू नहीं होता है, जो एक एनएसक्यूएफ स्तर से सीधे अगले एनएसक्यूएफ स्तर पर आगे बढ़ते हैं और एनएसक्यूएफ स्तर-1 और एनएसक्यूएफ स्तर-2 के मामले में भी। इस प्रकार से बिन्दु (iv) का सिद्धांत उन शिक्षुओं के लिए लागू नहीं होता, जो पूरी तरह से कौशल व्यवस्था में हबें और कोई शैक्षणिक समतुल्यता नहीं चाहते अथवा शैक्षणिक आधार में नहीं जाना चाहते। वे पिछले एनएसक्यूएफ स्तर और/अथवा पूर्व शिक्षण की मान्यता (आरपीएल) में बिताए गए वर्षों की संख्या के आधार पर केवल कौशल व्यवस्था में ही वर्टिकल रूप से आगे बढ़ सकते हैं, जो शैक्षणिक प्रवेश अर्हता पर किसी भी प्रतिबंध के बिना मूल्यांकन किए जाने के अधीन हैं। तथापि, उन्हें ऐसे वीईटी और कौशल के लिए कोई भी शैक्षणिक समतुल्यता प्रदान नहीं की जाएगी। इस पहलुओं को आगे आरपीएल में विस्तार से बताया जाएगा। ऐसे दिशानिर्देश, जो प्रदान करते हैं कि बहुत ही विशेष मामलों में (अर्थात् पदक पुरस्कार विजेता, ओलम्पिक मेडल विजेता) स्तर विवरणक (लेवल डिस्क्रिप्टर) लागू नहीं हो सकता है और संशोधित रूप में लागू किया जाएगा।

vi. उल्लिखित अपेक्षाएं/ मानदंड एक विशेष एनएसक्यूएफ/ एनसीआरएफ स्तर पर वीईटी और कौशल में प्रवेश के लिए पालन की जाने वाली न्यूनतम अपेक्षाएं हैं। जॉब भूमिका और/ अथवा क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार, इन अपेक्षाओं को ऊपर की ओर बढ़ाया जा सकता है।

vii. एक सिद्धांत के रूप में, प्राप्त 'पिछले एनएसक्यूएफ स्तर' के आधार पर अर्हता के लिए प्रवेश के संदर्भ में, 0.5 एनएसक्यूएफ/ एनसीआरएफ स्तर के प्रत्येक ऊपर की ओर बढ़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम अनुभव 1.5 वर्ष होगा, जैसा कि स्तर 3 से स्तर 7 तक लागू है।

viii. जबकि प्रत्येक एनएसक्यूएफ/ एनसीआरएफ स्तर की अर्हता/ पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रवेश मानदंडों के विभिन्न संयोजन दिए गए हैं, शैक्षणिक/ वीईटी और कौशल शिक्षण के वर्षों की समतुल्य संख्या के सिद्धांत का पालन करते हुए, समान एनएसक्यूएफ/ एनसीआरएफ स्तरों के सरकारी अनुमोदित कार्यक्रमों के अन्य संयोजनों को शामिल किया जा सकता है। यह सिद्धांत उन लोगों पर लागू नहीं होता है, जो एक एनएसक्यूएफ स्तर में सीधे अगले एनएसक्यूएफ स्तर

पर प्रगति कर रहे हैं और एनएसक्यूएफ स्तर-1 और एनएसक्यूएफ स्तर-2 अर्हता के मामले में भी, जिसके लिए विशिष्ट अवधि निर्धारित की गई है।

ix. नीचे दी गई तालिका किसी विशेष एनएसक्यूएफ/ एनसीआरएफ स्तर पर एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित अर्हता/ पाठ्यक्रम/ कार्यक्रम शुरू करने के लिए न्यूनतम प्रवेश अपेक्षाओं को अनुमोदित करती है। उम्मीदवार व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण/ कौशल क्षेत्र में प्रगति कर सकता है और पिछले एनएसक्यूएफ स्तर के मानदंडों के माध्यम से उच्चतम स्तर प्राप्त कर सकता है। तथापि, यदि ऐसा कोई उम्मीदवार शैक्षणिक क्षेत्र में शैक्षणिक समतुल्यता अथवा हॉरिजोंटल/ वर्टिकल गतिशीलता चाहता है, तो उम्मीदवार को तालिका में दिए गए प्रत्येक एनएसक्यूएफ/ एनसीआरएफ स्तर में प्रवेश के लिए परिभाषित न्यूनतम शैक्षणिक अपेक्षाओं या वीईटी/ शैक्षणिक/ अनुभवजन्य शिक्षा आदि के संयोजन को पूरा करना होगा।

x. पूर्ण रूप से वीईटी और कौशल विकास में पूर्ण शिक्षण की मान्यता (आरपीएल) के लिए कोई भी औपचारिक प्रवेश अर्हता निर्धारित नहीं की जा सकती है, बशर्ते कि आरपीएल मूल्यांकन एनसीवीईटी के विस्तृत दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा। तथापि, ऊपर बिन्दु (ix) में उल्लिखित सिद्धांत लागू होंगे।

<u>ख. नोशनल घंटों को परिभाषित करने के लिए बुनियादी सिद्धांत</u>

xi. उल्लिखित नोशनल घंटे किसी विशेष एनएसक्यूएफ/ एनसीआरएफ स्तर के लिए घंटों की न्यूनतम सीमा है, जिसे यदि अपेक्षित हो, तो जॉब भूमिका/ अर्हता के प्रकार के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। इन नोशनल घंटों में, अनिवार्य रूप से सैद्धान्तिक व्यावहारिक और रोजगार मॉड्यूल शामिल होना चाहिए। ओजेटी घटक वांछनीय है, जिसे अर्हता में शामिल किया जा सकता है। तथापि, इसके लिए निर्धारित नोशनल घंटे जॉब भूमिका और क्षेत्र पर निर्भर हो सकते हैं।

xii. एनसीआरएफ के अनुसार, नोशनल शिक्षण के घंटों में कक्षा में सीखना/ सिखाना, व्यावहारिक और प्रयोगशाला/ नवाचार प्रयोगशालाएं, कक्षा परियोजनाएं, असाइनमेंट, ट्यूटोरियल, खेल और क्रीडा, योग, प्रदर्शन, कला, सामाजिक कार्य, एनसीसी, परीक्षाएं, कक्षा परीक्षण, प्रश्नोत्तरी, मूल्यांकन, छोटे व बड़े परियोजना कार्य, कौशल शिक्षा में क्षेत्र का दौरा, इन्टर्नशिप, प्रशिक्षुता, जॉब में प्रशिक्षण (ओजेटी) और प्रासंगिक प्रवीणता तथा अर्जित व्यावसायिक स्तर आदि सहित अनुभवजन्य शिक्षा शामिल हो सकती है।

xiii. रोजगार योग्य कौशल (ईएस) से संबंधित एनओएस हर अर्हता के लिए अनिवार्य होता है और इसे नोशनल घंटों में गिना जाएगा। एसटीटी और एलटीटी के लिए रोजगार योग्य कौशल (ईएस) मॉड्यूल का अलग से उल्लेख किया गया है। एलटीटी के मामले में, 1 वर्ष के कार्यक्रम के लिए ईएस मॉड्यूल 120 घंटों के होंगे। 2 वर्ष की अवधि के एलटीटी कार्यक्रमों के संबंध में, ईएस के लिए कुल नोशनल घंटे 180 घंटे होंगे (पहले वर्ष में न्यूनतम 90 घंटों के साथ), जबकि 3 वर्ष के

एलटीटी कार्यक्रम के लिए ईएस के लिए कुल नोशनल घंटे 240 घंटे होंगे (पहले वर्ष में न्यूनतम 90 घंटों के साथ)।

<u>ग. क्रेडिट के आवंटन के लिए बुनियादी सिद्धांत</u>

xiv. अर्हता डिजाइन और क्रेडिट के आवंटन में आसानी के लिए, अर्हता और एनओएस 30 के गुणांक में होंगे, जैसे 60, 90, 120 या 150; जबकि माइक्रो क्रेडेंशियल 7.5, 15, 22.5 या 30 घंटे की अवधि के हो सकते हैं।

xv. व्यावहारिक शिक्षा और प्रशिक्षण/ कौशल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए क्रेडिट असाइनमेंट के संबंध में निम्नलिखित लागू होंगे :

(क) एक वर्ष की अवधि के कार्यक्रम में कुल नोशनल घंटे (क्रेडिट की गणना के प्रयोजन के लिए) : 1200

(ख) 1200 नोशनल शिक्षण के घंटों के साथ एक वर्ष में आवंटित किए जाने वाले क्रेडिट : 40 (तथापि, शिक्षण के प्रत्येक वर्ष के लिए घंटों की संख्या बढ़ सकती है और तदनुसार क्रेडिट की संख्या भी 44 हो जाएगी)।

(ग) अतः समग्र क्रेडिट गणना के उद्देश्य के लिए एक क्रेडिट यूनिट के लिए नोशनल घंटों की संख्या : 1200/40 = 30

(घ) एनएसक्यूएफ स्तरों के अनुसार, व्यावसायिक/ कौशल शिक्षा के लिए क्रेडिट असाइनमेंट और विभिन्न स्तरों पर क्रेडिट का असाइनमेंट एनसीआरएफ में निर्धारित है।

घ. अन्य सिद्धांतों में यह व्यवस्था है कि :-

xvi. प्रासंगिक अनुभव में जॉब में प्रशिक्षण (ओजेटी), इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण शामिल हो सकते हैं। तथापि, अर्हता के भाग के रूप में लिया गया और क्रेडिट में मोचन किया गया ओजेटी प्रासंगिक कार्य अनुभव के भाग के रूप में फिर से नहीं माना जाएगा।

xvii. एनसीआरएफ/ एनएसक्यूएफ स्तर 2.5 तक प्रासंगिक अनुभव और ओजेटी की स्थापना के लिए संबंधित एबी/ नियामक निकाय, औपचारिक अनुभव प्रमाणपत्र की अनुपस्थिति में, शिक्षण के परिणामों के आधार पर प्रासंगिक अनुभव का मूल्यांकन करने के लिए प्रक्रिया (जैसे प्रवेश पूर्व परीक्षा आदि) निर्धारित कर सकता है। ऐसे मामलों में, यदि उम्मीदवारों के चयन के लिए शिक्षण के परिणामों का मूल्यांकन करने की पूर्व निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है, तो औपचारिक अनुभव और ओजेटी प्रमाण पत्र पर जोर नहीं दिया जा सकता।

xviii. तथापि, 2.5 से आगे के सभी एनसीआरएफ/ एनएसक्यूएफ स्तरों के लिए मूल्यांकन के अतिरिक्त प्रासंगिक अनुभव और ओजेटी स्थापित करने वाले उचित प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।

xix. परियोजना कार्य और एनआईओएस के माध्यम से शिक्षण के अतिरिक्त घंटों के लिए अतिरिक्त क्रेडिट प्रदान किए जा सकते हैं।

xx. एसटीटी कार्यक्रमों के मामले में, क्रेडिट की गणना 1200 शिक्षण के घंटों के लिए 40 क्रेडिट के सिद्धांत पर नोशनल घंटों की संख्या के आधार पर की जाएगी।

xxi. कौशल उन्नयन के साथ या उसके बिना और परिणाम आधारित मूल्यांकन एवं प्रमाणन के अधीन पूर्व शिक्षण की मान्यता के प्रावधान का, प्रासंगिक अनुभव और अर्जित पेशेवर स्तर सहित अनुभवात्मक शिक्षण वाले प्रशिक्षित कार्यबल को एनएसक्यूएफ/एनसीआरएफ क्रेडिट स्तर के आवंटन के लिए भी प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार के अनुभवात्मक शिक्षण के लिए क्रेडिट का आवंटन एनसीवीईटी के दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा।

तालिका : राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) से संरेखित अर्हताओं के लिए न्यूनतम प्रवेश मानदंड और नोशनल घंटों की सीमा आदि के लिए मानक मानदंड

वीईटी/ कौशल प्रशिक्षण (एसटीटी/ एलटीटी) के बाद अर्जित एनएसक्यूएफ स्तर)	अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी)				दीर्घकालिक प्रशिक्षण (एलटीटी)		
	अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) में भाग लेने के लिए न्यूनतम प्रवेश मानदंड		दीर्घकालिक प्रशिक्षण (एलटीटी) में भाग लेने के लिए न्यूनतम प्रवेश मानदंड	दीर्घकालिक प्रशिक्षण (एलटीटी) में भाग लेने के लिए न्यूनतम प्रवेश मानदंड	दीर्घकालिक प्रशिक्षण (एलटीटी) में भाग लेने के लिए न्यूनतम प्रवेश मानदंड	नोशनल घंटों की न्यूनतम सीमा - 30 के गुणांक में)	रोजगार योग्य कौशल (ईएस) - नोशनल घंटों में शामिल किए जाने हेतु
	अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) में भाग लेने के लिए अपेक्षित न्यूनतम शिक्षा/ व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल	अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) में भाग लेने के लिए अपेक्षित न्यूनतम अनुभव*					
स्तर 1	कोई औपचारिक शिक्षा नहीं	कोई अनुभव अपेक्षित नहीं	150 - 210 घंटे	30 घंटे	कोई एलटीटी पाठ्यक्रम नहीं	शून्य	शून्य
स्तर 2	• कोई औपचारिक शिक्षा नहीं • कुछ अर्हताओं के लिए पढ़ने और लिखने की योग्यता अपेक्षित हो सकती है।	कोई अनुभव नहीं तथापि, 1 वर्ष का संगत अनुभव कुछ अर्हताओं के लिए वांछनीय हो सकता है।	210 - 270 घंटे	30 घंटे	कोई एलटीटी पाठ्यक्रम नहीं	शून्य	शून्य
	एनएसक्यूएफ स्तर 1 की पिछली संगत अर्हता	कोई अनुभव अपेक्षित नहीं					
स्तर 2.5	• 9वीं कक्षा पास • 8वीं कक्षा पास और सतत स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रहा हो	कोई अनुभव अपेक्षित नहीं	240 - 300 घंटे	30 घंटे	8वीं कक्षा पास	1200 घंटे और (केवल एनटीसी के लिए) 150 घंटे का परियोजना कार्य	120 घंटे
	8वीं कक्षा पास	1 वर्ष का संगत अनुभव					
	5वीं कक्षा पास	4 वर्ष का संगत अनुभव					
	पढ़ने और लिखने की योग्यता	5 वर्ष का संगत अनुभव					
	एनएसक्यूएफ स्तर 2 की पिछली संगत अर्हता	6 माह का संगत अनुभव					
	एनएसक्यूएफ स्तर 1 की पिछली संगत अर्हता	1.5 वर्ष का संगत अनुभव					
स्तर 3	• 10वीं कक्षा पास • कक्षा 8 पास और 8वीं के बाद 2 वर्षीय (एनटीसी/ एनएसी) • कक्षा 8 पास और नियमित स्कूल में सतत शिक्षा प्राप्त कर रहा हो (2 वर्षीय कार्यक्रम के मामले में) • कक्षा 8 पास और नियमित स्कूल में सतत शिक्षा प्राप्त कर रहा हो	कोई अनुभव अपेक्षित नहीं	270 - 390 घंटे	30/ 60 घंटे	9वीं कक्षा पास	1200 घंटे	120 घंटे
					8वीं कक्षा पास	2400 घंटे और (केवल एनटीसी के लिए) 150 घंटे का परियोजना कार्य	180 घंटे (प्रथम वर्ष में न्यूनतम 90 घंटे का माड्यूल)

	9वीं कक्षा पास	1 वर्ष का संगत अनुभव					
	8वीं कक्षा पास	2 वर्ष का संगत अनुभव					
	5वीं कक्षा पास	5 वर्ष का संगत अनुभव					
	एनएसक्यूएफ स्तर 2.5 की पिछली संगत अर्हता	1.5 वर्ष का संगत अनुभव					
	एनएसक्यूएफ स्तर 2 की पिछली संगत अर्हता	3 वर्ष का संगत अनुभव					
स्तर 3.5	• 11वीं कक्षा पास • 10वीं के बाद 3 वर्षीय डिप्लोमा का प्रथम वर्ष पूरा किया हो • कक्षा 10 पास और नियमित स्कूल में सतत शिक्षा प्राप्त कर रहा हो • कक्षा 8 पास और दो वर्षीय एनटीसी और साथ में एक वर्ष का एनएसी/ सीआईटीएस	कोई अनुभव अपेक्षित नहीं.	360 - 420 घंटे	30 /60 घंटे	10वीं कक्षा पास	1200 घंटे और (केवल एनटीसी के लिए) 150 घंटे का परियोजना कार्य	120 घंटे
	• 10वीं कक्षा पास • 8वीं कक्षा पास और साथ में 2 वर्ष का एनटीसी/ एनएसी/ सीआईटीएस या समतुल्य का कोई भी संयोजन	1 वर्ष का संगत अनुभव					
	8वीं कक्षा पास	3 वर्ष का संगत अनुभव					
	एनएसक्यूएफ स्तर 3 की पिछली संगत अर्हता	1.5 वर्ष का संगत अनुभव					
	एनएसक्यूएफ स्तर 2.5 की पिछली संगत अर्हता	3 वर्ष का संगत अनुभव					
स्तर 4	• 12वीं कक्षा पास • 3 वर्षीय डिप्लोमा का दूसरा वर्ष पूरा किया हो (10वीं के बाद) • 3 वर्षीय नियमित डिप्लोमा का दूसरा वर्ष चल रहा हो (10वीं के बाद) • 10वीं पास और साथ में 2 वर्ष का एनटीसी/ एनएसी/ सीआईटीएस या समतुल्य का कोई भी संयोजन • 8वीं पास और 2 वर्ष का एनटीसी और 2 वर्ष का एनएसी और 1 वर्ष का सीआईटीएस • 10वीं पास और स्कूल में सतत शिक्षा प्राप्त कर रहा हो (2 वर्षीय कार्यक्रम) • कक्षा 11 पास और नियमित स्कूल में सतत शिक्षा प्राप्त कर रहा हो	कोई अनुभव अपेक्षित नहीं	390 - 480 प्रशिक्षण के नोशनल घंटे	30 घंटे / 60 घंटे	11वीं कक्षा पास अथवा समतुल्य	1200 घंटे	120 घंटे
					10वीं कक्षा पास अथवा समतुल्य	2400 घंटे और (केवल एनटीसी के लिए) 150 घंटे का परियोजना कार्य	180 घंटे (प्रथम वर्ष में न्यूनतम 90 घंटे का माड्यूल)
	11वीं कक्षा पास	1 वर्ष का संगत अनुभव					

	10वीं कक्षा पास	2 वर्ष का संगत अनुभव					
	एनएसक्यूएफ स्तर 3.5 की पिछली संगत अर्हता	1.5 वर्ष का संगत अनुभव					
	एनएसक्यूएफ स्तर 3.0 की पिछली संगत अर्हता	3 वर्ष का संगत अनुभव					
स्तर 4.5	• 3 वर्षीय/ 4 वर्षीय यूजी का प्रथम वर्ष पूरा किया हो • 3 वर्षीय/ 4 वर्षीय यूजी का प्रथम वर्ष चल रहा हो और शिक्षा जारी हो • 10वीं के बाद 3 वर्षीय डिप्लोमा का तीसरा वर्ष चल रहा हो और शिक्षा जारी हो • 10वीं के बाद 3 वर्षीय डिप्लोमा पूरा किया हो • 12वीं के बाद 2 वर्षीय डिप्लोमा का प्रथम वर्ष पूरा किया हो • 12वीं के बाद 2 वर्षीय डिप्लोमा का प्रथम वर्ष चल रहा हो • 12वीं पास के साथ 1 वर्ष का एनटीसी/ एनएसी • 12वीं पास के साथ 3 वर्ष का एनटीसी/ एनएसी/ सीआईटीएस में से किसी का संयोजन या समतुल्य	कोई अनुभव अपेक्षित नहीं	450 - 510 प्रशिक्षण के नोशनल घंटे अथवा स्नातक के लिए छात्र - 450 घंटे इंटर्नशिप + परियोजना कार्य व मूल्यांकन	60 घंटे	12वीं कक्षा पास अथवा समतुल्य	1200 घंटे और (केवल एनटीसी के लिए) 150 घंटे का परियोजना कार्य	120 घंटे
	12वीं कक्षा पास	1 वर्ष का संगत अनुभव			10वीं कक्षा पास अथवा समतुल्य	3600 घंटे	240 घंटे (प्रथम वर्ष में न्यूनतम 90 घंटे का माड्यूल)
	10वीं पास के साथ 2 वर्ष का एनटीसी/ एनएसी/ सीआईटीएस में से किसी का संयोजन या समतुल्य	1 वर्ष का संगत अनुभव					
	8वीं पास के साथ 2 वर्ष का एनटीसी और 1 वर्ष का सीआईटीएस	1 वर्ष का संगत अनुभव					
	10वीं कक्षा पास	3 वर्ष का संगत अनुभव					
	एनएसक्यूएफ स्तर 4 की पिछली संगत अर्हता	1.5 वर्ष का संगत अनुभव					
	एनएसक्यूएफ स्तर 3.5 की पिछली संगत अर्हता	3 वर्ष का संगत अनुभव					
स्तर 5	• 3 वर्षीय/ 4 वर्षीय यूजी का दूसरा वर्ष पूरा किया हो • 3 वर्षीय/ 4 वर्षीय यूजी का दूसरा वर्ष चल रहा हो और शिक्षा जारी हो • 3 वर्षीय डिप्लोमा का दूसरा वर्ष पूरा किया हो (12वीं के बाद) • 12वीं के बाद 2 वर्षीय डिप्लोमा का दूसरा वर्ष चल रहा हो	कोई अनुभव अपेक्षित नहीं	480 से 570 प्रशिक्षण के नोशनल घंटे अथवा स्नातक के लिए छात्र - 510 घंटे इंटर्नशिप + परियोजना कार्य व मूल्यांकन	60 घंटे	11वीं कक्षा का बाद 3 वर्षीय डिप्लोमा पूरा किया हो	1200 घंटे	120 घंटे
	12वीं पास के साथ 2 वर्ष का एनटीसी/ एनएसी/ सीआईटीएस में से किसी का संयोजन या समतुल्य	कोई अनुभव अपेक्षित नहीं			स्नातक प्रथम वर्ष पूरा किया हो अथवा समतुल्य	1200 घंटे	120 घंटे
	• 10वीं के बाद 3 वर्षीय डिप्लोमा पूरा किया हो • 12वीं पास के साथ 1 वर्ष का एनटीसी/ एनएसी • 3 वर्षीय/ 4 वर्षीय यूजी का प्रथम वर्ष पूरा किया हो	1 वर्ष का संगत अनुभव			12वीं कक्षा पास अथवा समतुल्य	2400 घंटे	180 घंटे (प्रथम वर्ष

	12वीं कक्षा पास	2 वर्ष का संगत अनुभव			पाठ्यक्रम		में न्यूनतम 90 घंटे का माड्यूल)
	10वीं कक्षा पास	4 वर्ष का संगत अनुभव					
	एनएसक्यूएफ स्तर 4.5 की पिछली संगत अर्हता	1.5 वर्ष का संगत अनुभव			10वीं कक्षा पास और 2 वर्षीय एनटीसी तथा 1 वर्ष का संगत अनुभव (केवल सीआईटीएस के लिए) अथवा 10वीं कक्षा पास और 2 वर्षीय एनटीसी 2 वर्ष का संगत अनुभव (केवल सीआईटीएस के लिए)	1200 घंटे	120 घंटे
	एनएसक्यूएफ स्तर 4 की पिछली संगत अर्हता	3 वर्ष का संगत अनुभव					
स्तर 5.5 यूजी डिग्री	• 3 वर्षीय/ 4 वर्षीय यूजी का तीसरा वर्ष पूरा किया हो • 3 वर्षीय/ 4 वर्षीय यूजी का तीसरा वर्ष चल रहा हो और शिक्षा जारी हो 12वीं पास और 1 वर्ष का एनटीसी और 1 वर्ष का एनएसी और 1 वर्ष का सीआईटीएस पूरा किया हो	कोई अनुभव अपेक्षित नहीं	540 से 600 प्रशिक्षण के नोशनल घंटे अथवा स्नातक के लिए छात्र - 550 घंटे इंटर्नशिप + परियोजना कार्य व मूल्यांकन	60 घंटे / 90 घंटे	स्नातक प्रथम वर्ष पूरा किया हो अथवा समतुल्य	2400 घंटे	180 घंटे (प्रथम वर्ष में न्यूनतम 90 घंटे का माड्यूल)
	• 12वीं पास के साथ 2 वर्ष का एनटीसी/ एनएसी/ सीआईटीएस में से किसी का संयोजन या समतुल्य • 10वीं के बाद 2 वर्षीय डिप्लोमा पूरा किया हो • 3 वर्षीय यूजी का दूसरा वर्ष पूरा किया हो	1 वर्ष का संगत अनुभव			स्नातक दूसरा वर्ष पूरा किया हो अथवा समतुल्य	1200 घंटे	120 घंटे
	• 12वीं पास के साथ 1 वर्ष का एनटीसी/ एनएसी • 3 वर्षीय डिप्लोमा पूरा किया हो (12वीं के बाद)	2 वर्ष का संगत अनुभव					
	10वीं के बाद 3 वर्षीय डिप्लोमा पूरा किया हो	2 वर्ष का संगत अनुभव					
	12वीं कक्षा पास	3 वर्ष का संगत अनुभव					
	एनएसक्यूएफ स्तर 5 की पिछली संगत अर्हता	1.5 वर्ष का संगत अनुभव					
	एनएसक्यूएफ स्तर 4.5 की पिछली संगत अर्हता	3 वर्ष का संगत अनुभव					

स्तर 6	• 3 वर्षीय यूजी डिग्री पूरी करने के बाद 2 वर्षीय पीजी का पहला वर्ष चल रहा हो • 3 वर्षीय यूजी डिग्री पूरी करने के बाद 1 वर्षीय पीजी डिप्लोमा चल रहा हो • यूजी का चौथा वर्ष पूरा किया हो (4 वर्षीय यूजी के मामले में) • यूजी का चौथा वर्ष पूरा किया हो (4 वर्षीय यूजी के मामले में) और शिक्षा जारी हो	कोई अनुभव अपेक्षित नहीं	570 से 660 प्रशिक्षण के नोशनल घंटे अथवा स्नातक/ स्नातकोत्तर के लिए	90 घंटे	स्नातक (3 वर्षीय) पूरा किया हो अथवा समतुल्य	1200 घंटे	120 घंटे
	3 वर्षीय यूजी डिग्री पूरी की हो	1 वर्ष का संगत अनुभव					
	• 12वीं पास के साथ 2 वर्ष का एनटीसी/ एनएसी/ सीआईटीएस में से किसी का संयोजन या समतुल्य • 12वीं के बाद 2 वर्षीय डिप्लोमा पूरा किया हो	2 वर्ष का संगत अनुभव	डिप्लोमा छात्र - 600 घंटे इंटर्नशिप + परियोजना कार्य व मूल्यांकन				
	12वीं के बाद 2 वर्षीय डिप्लोमा का पहला वर्ष पूरा किया हो	3 वर्ष का संगत अनुभव					
	12वीं कक्षा पास	4 वर्ष का संगत अनुभव					
	एनएसक्यूएफ स्तर 5.5 की पिछली संगत अर्हता	1.5 वर्ष का संगत अनुभव					
	एनएसक्यूएफ स्तर 5 की पिछली संगत अर्हता	3 वर्ष का संगत अनुभव					
स्तर 6.5	• पीएचडी चल रही हो (अनुसंधान के साथ 4 वर्षीय यूजी ऑनर्स के बाद) • 2 वर्षीय पीजी का दूसरा वर्ष चल रही हो (3 वर्षीय यूजी डिग्री के बाद) • 2 वर्षीय पीजी का पहला वर्ष चल रही हो (3 वर्षीय यूजी डिग्री के बाद) • 2 वर्षीय पीजी डिग्री पूरी की हो (3 वर्षीय यूजी डिग्री के बाद)	कोई अनुभव अपेक्षित नहीं	630 से 690 प्रशिक्षण के नोशनल घंटे अथवा स्नातकोत्तर के लिए छात्र - 660 घंटे इंटर्नशिप + परियोजना कार्य व मूल्यांकन	90 घंटे	4 वर्षीय स्नातक पूरा किया हो अथवा 3 वर्षीय स्नातक के बाद पीजी डिप्लोमा पूरा किया हो अथवा 2 वर्षीय पीजी कार्यक्रम का प्रथम वर्ष पूरा किया हो	1200 घंटे	120 घंटे
	• 4 वर्षीय यूजी प्रोग्राम पूरा किया हो • 2 वर्षीय यूजी डिग्री के बाद 2 वर्षीय पीजी का पहला वर्ष पूरा किया हो	1 वर्ष का संगत अनुभव					
	3 वर्षीय यूजी डिग्री पूरी की हो	2 वर्ष का संगत अनुभव					
	12वीं कक्षा के बाद 2 वर्षीय डिप्लोमा पूरा किया हो (किसी भी क्षेत्र में)	3 वर्ष का संगत अनुभव					
	12वीं पास के साथ 2 वर्ष का एनटीसी/ एनएसी/ सीआईटीएस में से किसी का संयोजन	3 वर्ष का संगत अनुभव					
	एनएसक्यूएफ स्तर 6 की पिछली संगत अर्हता	1.5 वर्ष का संगत अनुभव					
	एनएसक्यूएफ स्तर 5.5 की पिछली संगत अर्हता	3 वर्ष का संगत अनुभव					

स्तर 7 पीजी इंजीनियरिंग	पीएचडी चल रही हो	कोई अनुभव अपेक्षित नहीं	660 से 750 प्रशिक्षण के नोशनल घंटे अथवा स्नातकोत्तर के लिए छात्र - 720 घंटे इंटर्नशिप + परियोजना कार्य व मूल्यांकन	120 घंटे			
	4 वर्षीय यूजी प्रोग्राम के बाद 2 वर्षीय पीजी का दूसरा वर्ष चल रहा हो	कोई अनुभव अपेक्षित नहीं					
	3 वर्षीय यूजी के बाद 2 वर्षीय पीजी पूरी की हो	1 वर्ष का संगत अनुभव					
	4 वर्षीय यूजी डिग्री पूरी की हो	2 वर्ष का संगत अनुभव					
	3 वर्षीय यूजी डिग्री पूरी की हो	3 वर्ष का संगत अनुभव					
	एनएसक्यूएफ स्तर 6.5 की पिछली संगत अर्हता	1.5 वर्ष का संगत अनुभव					
	एनएसक्यूएफ स्तर 6 की पिछली संगत अर्हता	3 वर्ष का संगत अनुभव					
स्तर 8 पीएचडी / 19 वर्षों से अधिक	संगत क्षेत्र में पीएचडी	कोई अनुभव अपेक्षित नहीं	750 से अधिक प्रशिक्षण के नोशनल घंटे अथवा इंटर्नशिप एवं परियोजना कार्य के घंटे	120 घंटे			
	किसी भी क्षेत्र में पीएचडी	1 वर्ष का संगत अनुभव					
	संगत क्षेत्र में पीजी का दूसरा वर्ष	3 वर्ष का संगत अनुभव					
	किसी भी क्षेत्र में पीजी का दूसरा वर्ष	4 वर्ष का संगत अनुभव					
	संगत क्षेत्र में 3 वर्षीय यूजी या 4 वर्षीय यूजी	5 वर्ष का संगत अनुभव					
	किसी भी क्षेत्र में 3 वर्षीय यूजी	6 वर्ष का संगत अनुभव					
	एनएसक्यूएफ स्तर 6.5 की पिछली संगत अर्हता	4.5 वर्ष का संगत अनुभव					
	एनएसक्यूएफ स्तर 7 की पिछली संगत अर्हता	3 वर्ष का संगत अनुभव					